दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

माननीय न्यायाधीश पुरूषेंद्र कुमार कौरव

के समक्ष

<u>रि.या.(सि.) 15514/2023 एवं सि.वि.आ. 62139/2023</u>

के मध्य:-

रवि कुमार

पुत्र श्री श्याम नंदन कुमार यादव,
उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वार्ड
सं.01, गांव/शहर-माधोपुर सुस्ता,
डाक घर एवं पुलिस थाना- मनियारी ब्लाक कुरहानी,
उप प्रभाग -मुजफ्फरपुर
पश्चिम, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार .....याचिकाकर्ता

(*के माध्यम से: श्री अमितेश कुमार, सुश्री प्रीति कुमारी और श्री मृणाल किशोर, अधिवक्तागण।*)

और

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स)
प्रथम तल, कन्वर्जेंस ब्लॉक, अंसारी नगर,
नई दिल्ली 110608
अपने निबंधक के माध्यम से .....प्रत्यर्थी

(*द्वारा: श्री आनंद वर्मा, सुश्री अपूर्व पांडे और श्री आयुष गुप्ता, अधिवक्तागण।)*

उद्घोषित: 02.02.2024

निर्णय

1. किसी अभ्यर्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) [इसके बाद 'ओबीसी-एनसीएल'] श्रेणी के अंतर्गत बिना किसी आपत्ति के परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है और वह उक्त श्रेणी से संबंधित मेरिट सूची में अर्हता प्राप्त करता है। वह प्रमाणपत्र जमा करने के लिए निर्धारित समय और तिथि के भीतर सफलतापूर्वक अपना ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र जमा करता है। फिर भी, उक्त परीक्षा के प्रॉस्पेक्टस में निर्धारित एक विशेष समय सीमा या कट-ऑफ तिथि के भीतर जारी ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र जमा करने में विफल रहने के कारण उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाती है। प्रवेश रद्द करने की वैधता और ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु ऐसी समय सीमा या कट-ऑफ की संवैधानिक वैधता इस याचिका में उठने वाले मुख्य मुद्दे हैं।

2. तत्काल याचिका 27.11.2023 और 29.11.2023 के दो ई-मेल सूचनाओं के विरुद्ध दायर की गई है। 27.11.2023 के ई-मेल के अनुसार, याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है; और 29.11.2023 के एक अन्य ई-मेल के अनुसार, याचिकाकर्ता के ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के प्रमाण पत्र को

अमान्य रूप से अवैध माना गया है और प्रत्यर्थी-अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (इसके बाद 'एम्स') द्वारा आयोजित इंस्टिट्यूट ऑफ़ नेशनल इम्पोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (आईएनआई-सीईटी) जनवरी, 2024 सत्र के माध्यम से प्रवेश हेतु विचार नहीं किया गया है।

3. मामले के तथ्यों से पता चलता है कि प्रत्यर्थी ने चिकित्सा शिक्षा हेतु इंस्टिट्यूट ऑफ़ नेशनल इम्पोर्टेंस जैसे एम्स, नई दिल्ली, देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित नए एम्स केंद्रों, जेआईपीएमईआर-पुडुचेरी, निमहंस-बेंगलुरु, पीजीआईएमईआर-चंडीगढ़ और एससीटीआईएमएसटी-त्रिवेंद्रम आदि में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों अर्थात एमडी, एमएस, डीएम (6 वर्ष), एम.सीएच (6 वर्ष) और एमडीएस में प्रवेश हेतु आईएनआई-सीईटी का जनवरी, 2024 सत्र आयोजित किया।

4. उक्त परीक्षा हेतु प्रॉस्पेक्टस दिनांक 15.09.2023 को जारी की गई थी और पात्र अभ्यर्थीगण से आवेदन दिनांक 15.09.2023 से दिनांक 05.10.2023 तक आमंत्रित किए गए थे।

5. प्रॉस्पेक्टस (भाग-बी) के खंड 2 में भारत सरकार ('जीओआई') के दिशा-निर्देशों के अनुसार- प्रायोजित/विदेशी राष्ट्रीय अभ्यर्थीगण को छोड़कर सीटों के आरक्षण हेतु एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%

और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, संस्थान वरीयता आदि के प्रावधान के अलावा बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए भी आरक्षण निर्धारित किया गया था।

6. प्रोस्पेक्टस में वैध प्रमाण-पत्र/कार्ड, जैसे कि एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी, ओसीआई कार्ड इत्यादि अपलोड करने की तिथि 27.09.2023 (शाम 05:00 बजे से) से 05.11.2023 (शाम 05:00 बजे तक) निर्धारित की गई है।

7. प्रोस्पेक्टस के टिप्पणी-2 में यह आवश्यक है कि एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट का लाभ चाहने वाले आवेदकों को अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित वैध प्रमाण पत्र रखना सुनिश्चित करना चाहिए। ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र 'महत्वपूर्ण तिथियों' कॉलम में परिकल्पित अवधि के दौरान जारी किया जाना आवश्यक था, यह 06.11.2022 से 05.11.2023 तक है, दोनों तिथियां शामिल हैं। स्पष्टता हेतु, प्रोस्पेक्टस के टिप्पणी-2 को नीचे उद्धृत किया गया है:-

> *"टिप्पणी 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांगजन के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट का लाभ चाहने वाले आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी अपेक्षित वैध प्रमाण-पत्र होने चाहिए। ओबीसी (-एनसीएल) प्रमाण पत्र*

महत्वपूर्ण तिथियों में उल्लिखित अवधि के बीच जारी किए जाने चाहिए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण तिथियों में उल्लिखित अनुसार वैध होना चाहिए

एससी/एसटी/ओबीसी(एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण तिथियों/प्रकाशित सूचना में उल्लिखित परीक्षा की तिथि को या उससे पहले ऑनलाइन पंजीकरण के साथ अपलोड किए जाने चाहिए। आवेदकों को उचित वैध प्रमाण-पत्र अपलोड करने होंगे, इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि आवश्यक वैध प्रमाण-पत्र अपलोड किए गए हैं। अपलोड किए गए इन प्रमाण-पत्रों की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए सीट आवंटन की प्रक्रिया के दौरान प्रारंभिक जांच की जा सकती है, ताकि अभ्यर्थीगण द्वारा आरक्षण/छूट के लिए किए गए दावे की सत्यता का निर्धारण किया जा सके, हालाँकि यह प्रारंभिक जांच आवंटित स्नातकोत्तर सीट के लिए रिपोर्टिंग/नियुक्ति के समय मूल दस्तावेजों के उत्पादन और सत्यापन के अधीन होगी और किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। सीट का आवंटन पात्रता की स्वीकृति की गारंटी नहीं देता है, जो हमेशा अनंतिम होती है।"

8. इसके अतिरिक्त, प्रॉस्पेक्टस (भाग-क) के पृष्ठ सं. 26 पर, 'महत्वपूर्ण तिथियां' शीर्षक के अंतर्गत, निम्नलिखित तिथियां निर्धारित की गई थीं: -

वर्णन	प्रारंभिक तिथि	अंतिम तिथि
वैध प्रमाणपत्र/कार्ड अपलोड करना: एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण		

पत्र और ओसीआई कार्ड। क) वैध ओबीसी (एनसीएल) प्रमाण पत्र की तिथियां: ओबीसी (-एनसीएल) प्रमाण पत्र 06.11.2022 से 05.11.2023 (परीक्षा की तिथि) दोनों तिथियों को मिलाकर जारी किया जाना चाहिए। ख) वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की तिथि(या तिथियां): ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए वैध होना चाहिए और 01.04.2023 से 05.11.2023 (परीक्षा की तिथि को या उससे पहले) के बीच जारी किया जाना चाहिए, दोनों तिथियां वर्ष 2022-2023 की आय के आधार पर शामिल हैं।	27.09.2023 (05:00 अपराह्न)	05.11.2023 (05:00 अपराह्न)
पंजीकरण में भरे गए विवरण और मूल उम्मीदवार जानकारी और आवेदन पूरा करने की प्रक्रिया को आवेदन की अंतिम तिथि के बाद संशोधित नहीं किये जा सकते है। किसी भी परिस्थिति में पंजीकरण शुल्क के भुगतान के बाद श्रेणी में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।		

9. आवेदन पूर्ण होने की स्थिति 17.10.2023 के बाद प्रदर्शित की जानी थी तथा प्रवेश पत्र अपलोड करने की तिथि 30.10.2023 दर्शाई गई थी। परीक्षा 05.11.2023 के लिए निर्धारित की गई थी, तथा परिणाम की घोषणा की अपेक्षित तिथि 11.11.2023 थी तथा प्रवेश की अंतिम तिथि 29.02.2024 दर्शाई गई थी।

10. प्रॉस्पेक्टस के सेक्शन XI (भाग-ए) के अनुसार, परिणामों की घोषणा के बाद ऑनलाइन मोड के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाएगा। पात्र अभ्यर्थीगण को सीटों का आवंटन दो चरण में किया जाना है। सीट का आवंटन गुणागुण क्रम, अभ्यर्थीगण द्वारा चुने गए विकल्प और संस्थागत वरीयता, सामुदायिक आरक्षण

(ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आदि) और पीडब्ल्यूबीडी स्थिति के संबंध में व्यक्तिगत आईएनआई की आरक्षण नीतियों के अनुसार किया जाता है।

11. याचिकाकर्ता ने आईएनआई-सीईटी परीक्षा के लिए अपना आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिनांक 02.10.2022 का ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए प्रस्तुत किया था, जिसके द्वारा उसे ओबीसी-एनसीएल श्रेणी से संबंधित होने का प्रमाण पत्र दिया गया था।

12. प्रॉस्पेक्टस में निर्धारित समय के भीतर, प्रारंभिक संवीक्षा के बाद याचिकाकर्ता का प्रवेश पत्र प्रत्यर्थी द्वारा संबंधित वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता 05.11.2023 को परीक्षा में शामिल हुआ।

13. दिनांक 11.11.2023 को प्रत्यर्थी ने अधिसूचना सं. 213/2023 जारी की, जिसके तहत अनंतिम रूप से योग्य अभ्यर्थीगण की सूची अधिसूचित की गई। याचिकाकर्ता का नाम ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के तहत 89.037 प्रतिशतक और 6399 की समग्र रैंक प्राप्त करने के रूप में दर्शाया गया था।

14. इसके बाद, प्रत्यर्थी ने दिनांक 20.11.2023 को नोटिस सं. 242/2023 जारी किया, जिसके तहत ऑनलाइन सीट आवंटन की अनुसूची जारी की गई थी। इसके बाद, प्रत्यर्थी ने नोटिस सं. 242/2023 दिनांक 20.11.2023, जिसके तहत, ऑनलाइन सीट आवंटन की अनुसूची जारी की गई थी। उपरोक्त सूचना के

अनुसार, ऑनलाइन सीट आवंटन का पहला चरण 28.11.2023 से शुरू करने का प्रस्ताव था और ऑनलाइन सीट आवंटन का दूसरा चरण 19.12.2023 से शुरू होना निर्धारित था।

15. तत्पश्चात्, 22.11.2023 को, याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी से लगभग 05:18 अपराह्न एक ई-मेल प्राप्त हुआ, जिसमें उसके द्वारा प्रस्तुत ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था और याचिकाकर्ता को 23.11.2023 (शाम 05:00 बजे तक) तक वैध प्रमाण पत्र पुनः अपलोड करना अपेक्षित था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर 23.11.2023 को ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक नया ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र अपलोड किया।

16. हालांकि, उन्हें आश्चर्य हुआ कि 27.11.2023 को प्रत्यर्थी की ओर से उन्हें एक ई-मेल भेजा गया, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि उक्त प्रमाण-पत्र सही नहीं है, क्योंकि यह 05.11.2023 के बाद जारी किया गया था। तदनुसार, याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि उनकी अभ्यर्थिता केवल अनारक्षित श्रेणी में ही मानी जाएगी, क्योंकि उनकी कट ऑफ रैंक अनारक्षित मेरिट सूची में है। दिनांक 29.11.2023 को भेजे गए एक अन्य ई-मेल के माध्यम से, प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र प्रॉस्पेक्टस में निर्धारित समय-सीमा के भीतर जारी नहीं किए

गए थे, इसलिए याचिकाकर्ता को उक्त परीक्षा और प्रवेश के उद्देश्य से ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के तहत नहीं माना जा रहा है।

17. याचिकाकर्ता ने दोनों सूचनाओं से व्यथित होकर 01.12.2023 को तत्काल रिट याचिका दायर की। याचिका पर उसी तिथि को सुनवाई की गई। प्रत्यर्थी ने अग्रिम सूचना पर उपस्थिति दर्ज कराई। पक्षकारगण की सुनवाई की गई और अतिरिक्त सुनवाई के अधीन, इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता पर विचार करने और उसे ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के तहत काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया।

18. दिनांक 07.12.2023 को सीट आवंटन के पहले चरण की घोषणा की गई और उसी दिन याचिकाकर्ता को ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के तहत एम्स, गुवाहाटी में फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन कोर्स में सीट आवंटित की गई। तदनुसार, दिनांक 11.12.2023 को याचिकाकर्ता ने उक्त संस्थान में उपर्युक्त पाठ्यक्रम में जूनियर रेजिडेंट (अकादमिक) के रूप में प्रवेश लिया। इस याचिका के लंबित रहने के दौरान काउंसलिंग का दूसरा चरण भी आयोजित किया गया और प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो गई।

19. प्रत्यर्थी ने अपना जवाबी शपथ पत्र दाखिल किया है और तत्काल रिट याचिका में की गई प्रार्थना का विरोध किया है। याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर दाखिल

करने की स्वतंत्रता दी गई और उसके बाद मामले की गुणागुण के आधार पर सुनवाई की गई।

<u>प्रस्तुतियाँ</u>

20. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमितेश कुमार ने प्रस्तुत किया कि अभ्यर्थियों को 06.11.2022 से 05.11.2023 के बीच जारी ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता के पीछे कोई तर्क नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपनी अभ्यर्थिता प्रस्तुत करने के समय याचिकाकर्ता ने 02.10.2022 का ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। इसके बाद, नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए, उन्होंने 25.10.2023 को आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया और 06.11.2023 को आय प्रमाण पत्र जारी होने पर, उन्होंने 17.11.2023 को एक नया ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन किया, जो याचिकाकर्ता को 23.11.2023 को जारी किया गया।

21. उन्होंने आगे कहा कि संयोगवश, निर्धारित समय-सीमा की अंतिम तिथि जिसके भीतर नवीनतम ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था, वह भी 23.11.2023 थी और इसलिए याचिकाकर्ता 23.11.2023 को जारी नवीनतम प्रमाण-पत्र अपलोड करने में सक्षम था।

22. इसलिए, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में याचिकाकर्ता निस्संदेह एक ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवार है और उक्त श्रेणी में उसकी गुणागुण स्थिति के कारण, उसे पहले ही स्नातकोत्तर सीट आवंटित की जा चुकी है और केवल 06.11.2022 से 05.11.2023 के बीच जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के तकनीकी आधार पर, उसकी अभ्यर्थिता को खारिज नहीं किया जाना चाहिए था।

23. उन्होंने भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से इस न्यायालय को यह संकेत दिया है कि ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र जारी करने का आधार ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र जारी करने के वर्ष से पहले लगातार तीन वर्षों की अवधि के लिए संबंधित अभ्यर्थीगण की वार्षिक आय/संपत्ति का आकलन है।

24. विद्वान अधिवक्ता ने विशेष रूप से दिनांक 31.03.2016 के कार्यालय ज्ञापन पर जोर देते हुए कहा कि उक्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) द्वारा प्रस्तावित एनसीएल प्रारूप पर सभी संबंधित पक्षों की टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। उनके अनुसार, कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि वैध ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने से पहले के तीन वित्तीय वर्षों की आय पर विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बार प्रमाण पत्र तीन पिछले वर्षों

की आय/संपत्ति के आधार पर जारी किया जाता है, तो वह उस वर्ष के लिए वैध रहता है जिसके लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

25. विद्वान अधिवक्ता ने ***पुष्पा बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य*** के मामले में इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें इस न्यायालय ने रोजगार के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी प्रमाण पत्र पर विचार किया है। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि ***पुष्पा (पूर्वोक्त)*** के मामले में निर्धारित सिद्धांत को इस न्यायालय की एक अन्य समन्वय न्यायपीठ ने ***राम कुमार गिजरोया बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड व अन्य*** (इसके बाद ***'राम कुमार गिजरोया')*** के मामले में दोहराया था। ***राम कुमार गिजरोया*** के मामले में पारित आदेश के विरुद्ध, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने ले.पे.अ. 562/2011 दायर की और इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को ***दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एवं अन्य बनाम राम कुमार गिजरोया व अन्य*** [इसके बाद ***'राम कुमार गिजरोया (डीबी)'***] में प्रकाशित निर्णय और आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया गया।

26. इसके बाद, ***राम कुमार गिजरोया (डीबी)*** को विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पहले, इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ

द्वारा ***अनिल कुमार व अन्य बनाम भारत संघ*** के मामले में एक और निर्णय दिया गया था, जिसमें ***पुष्पा (पूर्वोक्त)*** के मामले में निर्धारित सिद्धांत को अनुमोदित किया गया था। इसके बाद विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ***राम कुमार गिजरोया बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड व अन्य*** [इसके बाद ***'राम कुमार गिजरोया (एससी)'***] में भी ***पुष्पा (पूर्वोक्त)*** के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांत को मंजूरी दी थी और इसे ***इंद्रा साहनी व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान न्यायपीठ द्वारा निर्धारित कानून और ***वलसम्मा पॉल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय के अनुरूप पाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***राम कुमार गिजरोया (डीबी)*** में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित निर्णय को रद्द कर दिया, तथा ***राम कुमार गिजरोया*** में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को बहाल कर दिया।

27. उन्होंने प्रस्तुत किया कि ***कर्ण सिंह यादव बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य*** के मामले में एक अन्य निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***राम कुमार गिजरोया (एससी)*** के मामले में निर्धारित प्रस्ताव पर संदेह किया और इसे तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी न्यायपीठ द्वारा विचार करने के लिए संदर्भित किया। जब मामला बड़ी न्यायपीठ के समक्ष रखा गया, तो पाया गया कि विवाद

राम कुमार गिजरोया (एससी) के मामले में निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया था, हालांकि, उस मामले में, यह भी उल्लेख किया गया था कि अपीलार्थी को कभी भी प्रश्नगत पद के लिए नियुक्त नहीं किया गया था और इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि कोई पर्याप्त राहत नहीं दी जा सकती।

28. विद्वान अधिवक्ता ने ***भूमिका चौधरी बनाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान*** के मामले में अंतिम निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिसमें समान मापदंडों पर उसी प्रत्यर्थी के खिलाफ राहत प्रदान की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जब ***भूमिका चौधरी (पूर्वोक्त)*** के मामले में प्रत्यर्थी के कहने पर अपील में निर्णय पेश किया गया था, तो इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने 08.11.2019 को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और अंतरिम राहत देने से इनकार करने के आदेश को पीड़ित पक्ष ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 25.11.2019 के आदेश के तहत वि.अनु.या. को खारिज कर दिया। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वि.अनु.या. सं. 700/2019 में खंड न्यायपीठ ने अपने बाद के आदेश दिनांक 20.01.2020 में उल्लेख किया कि उक्त न्यायालय के समक्ष लंबित वाद निष्फल हो गया था; तदनुसार, अपील को खारिज कर दिया गया।

29. उन्होंने इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2021 का रि.या.(सि) 9808/2022 अर्थात ***शिवानी धीमान बनाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान***

में पारित अंतरिम आदेश और दिनांक 31.07.2023 का रि.या.(सि) 9958/2023 अर्थात ***जे. विनुथा बनाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स व अन्य*** मामलों के आदेश पर भी भरोसा जताया है।

30. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद वर्मा ने प्रति-शपथपत्र पर व्यापक रूप से भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि वर्तमान रिट याचिका में कोई बल नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है तथा यह विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि प्रोस्पेक्टस में उल्लिखित कट-ऑफ तिथि पवित्र है तथा सभी संबंधित पक्षों द्वारा इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, यदि याचिकाकर्ता को तिथियों के संबंध में कोई शिकायत थी, तो उसे परीक्षा में बैठने से पहले उसे चुनौती देनी चाहिए थी। जब याचिकाकर्ता परीक्षा में विलम्ब से उपस्थित हुआ, तो उसे प्रोस्पेक्टस की शर्तों को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को नया प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया गया था, बल्कि प्रोस्पेक्टस में उल्लिखित तिथियों अर्थात 06.11.2022 से 05.11.2023 के बीच केवल अपने पास मौजूद प्रमाण-पत्र को पुनः अपलोड करने का अवसर दिया गया था। उपर्युक्त अवसर का अर्थ यह नहीं हो सकता कि अभ्यर्थी नया ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तथा प्रत्यर्थी को प्रस्तुत करने का हकदार था।

31. उनके अनुसार, यदि ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो प्रत्यर्थी के लिए संबंधित परीक्षा को उसके तार्किक अंत तक ले जाना असंभव हो जाएगा। उन्होंने परीक्षा समाप्त होने और परिणाम घोषित होने के बाद इस तरह के विलंबित प्रमाण पत्र को स्वीकार करने में विभिन्न व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला दिया।

32. विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने कट-ऑफ तिथि अर्थात दिनांक 05.11.2023 से पहले नए ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन नहीं किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता खुद इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है, जब पर्याप्त समय होने के बावजूद, उसने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया और उसने तभी आवेदन किया जब अंतिम परिणाम घोषित हो गया।

33. विद्वान अधिवक्ता ने प्रॉस्पेक्टस में प्रासंगिक धाराओं, महत्वपूर्ण तिथियों को भी पढ़ा है और फिर संबंधित अभ्यर्थीगण द्वारा उनके पालन के महत्व को समझाया है। उनके अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी कोई कार्यालय ज्ञापन नहीं है, जिसमें प्रत्यर्थी को किसी विशेष कट-ऑफ तिथि को निर्धारित करने की आवश्यकता हो। बल्कि, विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों से संकेत लेते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि पात्रता मानदंडों को पूरा करने या आवश्यक आरक्षण की मांग करने वाले प्रमाणपत्रों को स्वीकार करने के लिए कोई कट-ऑफ तिथि निर्धारित करना नियोक्ता या शैक्षणिक संस्थान पर निर्भर होगा।

34. विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए निर्णयों में अंतर करने का प्रयास किया है। उन्होंने ***साक्षी अर्हा बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उद्धरण देते हुए कहा है कि ***राम कुमार गिजरोया (एससी)*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं, इस संबंध में दो अलग-अलग न्यायाधीशों के विचार अलग-अलग थे और इसलिए, मामले को उचित न्यायपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया है।

35. उन्होंने ***संघ लोक सेवा आयोग बनाम गौरव सिंह व अन्य, पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा बनाम हरियाणा राज्य, रेखा चतुर्वेदी बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय, अशोक कुमार शर्मा बनाम चंद्र शेखर, दिव्या बनाम भारत संघ, मोहित शर्मा बनाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, हर्षुल सैनी बनाम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारत संघ बनाम महेंद्र सिंह, बेदंगा तालुकदार बनाम सैफुदुल्लाह खान और गौरव शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया है।

36. मैंने पक्षकारगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख और पूर्व निर्णय की सावधानीपूर्वक जांच की है।

विश्लेषण

37. याचिकाकर्ता की प्राथमिक शिकायत प्रत्यर्थी के प्रॉस्पेक्टस में निर्धारित समय-सीमा के भीतर जारी अपेक्षित ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के आधार पर उसकी अभ्यर्थिता को अस्वीकार करने से संबंधित है।

38. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि प्रत्यर्थी द्वारा इंगित की गई उपरोक्त कमी के अलावा, प्रवेश प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से कोई अन्य कमी या अयोग्यता नहीं थी। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता आईएनआई-सीईटी 2024 परीक्षा के माध्यम से संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अन्य सभी आवश्यक पात्रता मानदंडों को विधिवत पूरा करता है।

39. इस न्यायालय के समक्ष एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के तहत याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है, यदि ओबीसी-एनसीएल श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रत्यर्थी द्वारा उक्त प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि और समय-सीमा के बाद जारी किया गया था।

40. सबसे पहले, पुष्पा (पूर्वोक्त) का संदर्भ देना उचित होगा, जिसमें इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर निर्णय दिया था कि क्या आरक्षित ओबीसी श्रेणी में याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता को इस आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है कि ओबीसी प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था और याचिकाकर्ता

द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने दो स्वतंत्र आधारों पर नकारात्मक उत्तर दिया।

41. न्यायालय ने कहा कि किसी विशेष तिथि से पहले जारी किए गए ओबीसी श्रेणी प्रमाण पत्र पर जोर देना मनमाना होगा, क्योंकि इसका आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। न्यायालय ने यह निष्कर्ष दो मापदंडों पर आधारित किया। सबसे पहले, ओबीसी प्रमाण पत्र केवल एक तथ्य की पुष्टि है जो पहले से मौजूद है और इस प्रकार, न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 6 में निम्नलिखित रूप में देखा गया:-

> *"6. जनवरी, 2008 में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार, "ओबीसी" श्रेणी सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियां आरक्षित की गई थीं। इस प्रकार, "ओबीसी" श्रेणी के लिए आरक्षित पद के लिए विचार किए जाने के लिए, यह आवश्यक है कि व्यक्ति "ओबीसी" श्रेणी से संबंधित हो। यदि कोई व्यक्ति "ओबीसी" है, तो वह जन्म से ही ऐसा है, न कि बाद में किसी अन्य घटना के कारण इस श्रेणी में शामिल हुआ है। इस आशय का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र केवल उस तथ्य की पुष्टि है जो पहले से ही अस्तित्व में है। इस तरह के प्रमाण-पत्र का उद्देश्य अधिकारियों को उम्मीदवार के इस दावे पर विश्वास करने में सक्षम बनाना है कि वह "ओबीसी" श्रेणी से संबंधित है और ऐसे उम्मीदवार को "ओबीसी" श्रेणी से संबंधित होने का लाभ देकर उस पर कार्रवाई करना है। ऐसा नहीं है कि याचिकाकर्ता 21 जनवरी, 2008 से पहले "ओबीसी" श्रेणी से संबंधित नहीं था या उसने प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि पर ही "ओबीसी" होने का दर्जा प्राप्त किया। **इस स्थिति को देखते***

हुए, 21 जनवरी, 2008 से पहले के प्रमाण पत्र पर जोर देना स्पष्ट रूप से मनमाना होगा और इसका कोई तर्कसंगत उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सकता है।"

[*जोर दिया गया*]

42. दूसरे, न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) आरक्षण प्रदान करने के लिए सक्षम प्रावधान हैं और समानता के सिद्धांत पर आधारित हैं। उक्त प्रावधानों का उद्देश्य समान अवसर प्रदान करके समाज में विद्यमान असमानताओं को दूर करना है। इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि आरक्षण मांगना ओबीसी श्रेणी के व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इसलिए, तराजू कट-ऑफ तिथि पर जोर देने वाले संगठन के बजाय अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की मांग करने वाले व्यक्ति के पक्ष में झुकता है। इस संबंध में, न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

"7. जाति, कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों की पहचान करने के लिए एकमात्र स्वीकृत मानदंड है। अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि पहचान योग्य समूहों का कम प्रतिनिधित्व भारतीय जाति व्यवस्था की विरासत है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, भारत के संविधान ने कुछ पूर्ववर्ती समूहों को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में सूचीबद्ध किया। संविधान के निर्माताओं का मानना था कि जाति व्यवस्था के कारण, एससी और एसटी ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित थे और भारतीय समाज में सम्मान और समान अवसर से वंचित थे और इस प्रकार राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में उनका प्रतिनिधित्व कम था। बाद में, अन्य वर्गों के लिए भी आरक्षण शुरू किया गया।

8. समानता का सिद्धांत भारत के संविधान में व्याप्त है। सभी नागरिकों को राज्य द्वारा समान व्यवहार किए जाने का अधिकार है, चाहे उनकी जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान और निवास कुछ भी हो। किसी भी नागरिक के साथ राज्य द्वारा केवल इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अपवाद महिलाओं और बच्चों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के पक्ष में किए गए हैं।

9. आरक्षण के कारणों का उल्लेख करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 सप (3) एससीसी 217 में निम्न प्रकार से टिप्पणी की:

> *"251. संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद 10 में निहित सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की अवधारणा का उल्लेख करते हुए, जो अंततः संविधान के अनुच्छेद 16 के रूप में सामने आया, और सार्वजनिक प्रशासन में प्रतिनिधित्व के लिए विभिन्न समुदायों के परस्पर विरोधी दावों का उल्लेख करते हुए, डॉ. अंबेडकर ने जोरदार ढंग से घोषणा की कि आरक्षण को "अल्पसंख्यक सीटों" तक सीमित रखा जाना चाहिए, अन्यथा समानता की अवधारणा ही नष्ट हो जाएगी। इसके महान महत्व को देखते हुए, इस मुद्दे पर संविधान सभा में दिए गए उनके भाषण का पूरा पाठ इस निर्णय के साथ संलग्न है।*
>
> *लेकिन अब मैं इसमें से कुछ अंश पढ़ूंगा। डॉ. अंबेडकर ने कहा:*
>
> *"...सबसे पहले, अवसर की समानता होगी, दूसरे, कुछ समुदायों के पक्ष में आरक्षण होगा, जिन्हें अब तक प्रशासन में "उचित रूप से शामिल"*

नहीं किया गया है... उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि हम उन समुदायों की मांग को पूरी तरह से स्वीकार कर लें, जिन्हें अब तक सार्वजनिक सेवाओं में पूरी तरह से नियुक्त नहीं किया गया है, तो वास्तव में जो होगा, वह यह है कि हम उस पहले प्रस्ताव को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, जिस पर हम सभी सहमत हैं, अर्थात्, अवसर की समानता होगी... इसलिए, यदि आरक्षण अनुच्छेद 10 के उप-खंड (1) के अनुरूप होना है, तो आरक्षित की जाने वाली सीटें अल्पसंख्यक सीटों तक ही सीमित होनी चाहिए। तभी पहला सिद्धांत संविधान में अपना स्थान पा सकता है और प्रभावी रूप से लागू हो सकता है... हमें दो चीजों की रक्षा करनी है, अर्थात् अवसर की समानता का सिद्धांत और साथ ही उन समुदायों की मांग को पूरा करना है, जिन्हें अब तक राज्य में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है,..."। संविधान सभा वाद-विवाद, खंड 7, पृ.701-702 (1948-49)।

(जोर दिया गया)

ये शब्द आरक्षण के अस्तित्व का कारण और इसकी सीमाओं को दर्शाते हैं। आरक्षण संविधान द्वारा अपनाए गए उपायों में से एक है, जो विभिन्न वर्गों के लोगों के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रथाओं से उत्पन्न पूर्व असमानताओं के निरंतर बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए है, जिसके परिणामस्वरूप वे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन में आ गए हैं। आरक्षण का उद्देश्य वर्तमान सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को संबोधित करना है, जो उद्देश्यपूर्ण सामाजिक भेदभाव के कारण होता है। इस तरह के अन्याय के निरंतर दुष्प्रभावों और निरंतरता पर प्रहार करने के लिए, संविधान राज्य को सुधारात्मक उपाय अपनाने की अनुमति देता है और उसे सशक्त बनाता है, भले ही उनका भेदभावपूर्ण और बहिष्कारकारी प्रभाव हो। ऐसा कोई भी उपाय, जहाँ तक एक समूह को दूसरे के बहिष्कार के लिए

प्राथमिकता दी जाती है, आवश्यक रूप से मौलिक संवैधानिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकीर्ण रूप से तैयार किया जाना चाहिए।

***

11. यह मुद्दा अब कोई अनिर्णीत विषय नहीं रह गया है, क्योंकि तेज पाल सिंह बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (2005) 120 डीएलटी 117 के मामले में इस न्यायालय ने पहले ही यह विचार व्यक्त कर दिया है कि जो अभ्यर्थी "एससी" और "एसटी" श्रेणियों से संबंधित हैं, लेकिन इसके प्रमाण के रूप में प्रमाण पत्र दाखिल नहीं कर सके, उन्हें केवल प्रमाण पत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है और ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवेदन पत्र स्वीकार करने के लिए पूर्व शर्त नहीं बनाया जा सकता है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैरा इस प्रकार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *"17. मामले को दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 11 जून, 1999 के विज्ञापन के अनुसार, रिक्तियां "एससी" श्रेणी सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार, "एससी" श्रेणी के लिए आरक्षित पद के लिए विचार किए जाने के लिए, यह आवश्यक है कि व्यक्ति "एससी" श्रेणी से संबंधित हो। यदि कोई व्यक्ति एससी है तो वह जन्म से ही एससी है, न कि बाद में किसी अन्य घटना के कारण इस श्रेणी में शामिल हुआ है। इस आशय का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र केवल उस तथ्य की पुष्टि है जो पहले से ही अस्तित्व में है। ऐसे प्रमाण-पत्र का उद्देश्य अधिकारियों को उम्मीदवार के इस कथन पर विश्वास करने में सक्षम बनाना है कि वह "एससी" श्रेणी से संबंधित है और ऐसे उम्मीदवार को "एससी" श्रेणी से संबंधित होने का लाभ देकर उस पर कार्रवाई करना है। ऐसा नहीं है कि याचिकाकर्ता 30 जून, 1998 से पहले एससी श्रेणी के नहीं थे या उन्होंने प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि पर ही एससी*

होने का दर्जा प्राप्त किया। इस स्थिति को देखते हुए, 30 जून, 1998 से पहले के प्रमाण पत्र की आवश्यकता स्पष्ट रूप से मनमाना होगी और इसका कोई तर्कसंगत उद्देश्य नहीं है।

18. ऐसे मामलों में विशेष दृष्टिकोण अपनाते समय हमें संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में वर्णित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के पदों के पीछे के उद्देश्यों को ध्यान में रखना होगा, जो सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए अधिकृत करने वाले प्रावधान हैं। अतः अनुच्छेद 14(4) और 16(4) का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करना है ताकि वास्तविकता में समान अवसर उपलब्ध हो सकें। सामाजिक और आर्थिक न्याय समाज की सुरक्षा के लिए निहित अधिकार है। संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित तथा संविधान के मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों, विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 38, 39 और 46 में उल्लिखित सामाजिक और आर्थिक न्याय के अधिकार का उद्देश्य समाज के गरीब, वंचित और विकलांग नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सार्थक बनाना है।

19. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाल्सम्मा पॉल (श्रीमती) बनाम कोचीन विश्वविद्यालय, (1996) 3 एससीसी 545 में कहे गए निम्नलिखित ज्ञानपूर्ण शब्दों से प्रेरणा ली जा सकती है:–

"संविधान ने अपनी प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया, जो व्यक्तियों के अधिकारों और समतावादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्य के कर्तव्य और प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बनाता है। इसलिए, इस बात पर जोर दिया

जाता है कि एक नागरिक को मानव अधिकारों की उन्नति और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के संवैधानिक दर्शन के साथ सभी नागरिकों को समान स्तर पर व्यक्ति की उत्कृष्टता और समान स्थिति और सम्मान में सुधार करना चाहिए। .... "

43. इसके अलावा, ***पुष्पा (पूर्वोक्त)*** में, दूसरा निष्पक्ष आधार जिस पर न्यायालय ने अपना निर्णय आधारित किया था, वह यह था कि गलती अधिकारियों की थी और उनकी देरी के कारण ही याचिकाकर्ता कट-ऑफ तिथि के भीतर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ था।

44. तत्पश्चात, वर्तमान मुद्दे पर विचार करने के लिए तीन निर्णय और आदेश महत्वपूर्ण हैं - पहला, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ***राम कुमार गिजरोया*** में; दूसरा, इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा ***राम कुमार गिजरोया (डीबी)*** में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को उलटना; और तीसरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***राम कुमार गिजरोया (एससी)*** में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ के निर्णय को पलटना और विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को बहाल करना।

45. ***राम कुमार गिजरोया*** में इस न्यायालय ने पाया कि इस मामले के तथ्य ***पुष्पा (पूर्वोक्त)*** के मामले के समान थे, क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, दोनों मामलों में याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार कट-ऑफ तिथि के बाद ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करना था। इसके बाद न्यायालय

ने ***पुष्पा (पूर्वोक्त)*** के कट-ऑफ तिथि से पहले प्रमाण पत्र पर जोर देने के मनमाने ढंग से दिए गए आदेश पर भरोसा करते हुए ***राम कुमार गिजरोया*** में आवश्यकता को खारिज कर दिया। निर्णय का महत्वपूर्ण हिस्सा इस प्रकार है:-

> *"7. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सुश्री पुष्पा बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, सि.वि. सं. 17504/2008 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं, जो रि.या. (सि) सं. 9112/2008 में 11 फरवरी, 2009 को तय किया गया था, जो वर्तमान मामले में उन्हीं प्रत्यर्थीगण द्वारा जारी अधिसूचना के संबंध में था। उस मामले में भी, आवश्यक ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कट-ऑफ तिथि 21 जनवरी, 2008 निर्धारित की गई थी।* ***उपर्युक्त निर्णय के पैराग्राफ 6 में, यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र केवल उस तथ्य की पुष्टि है जो पहले से ही अस्तित्व में है। ऐसा नहीं है कि इस तरह का प्रमाण-पत्र देने से किसी व्यक्ति को पहली बार ओबीसी का दर्जा मिल जाता है या वह व्यक्ति 21 जनवरी, 2008 से पहले ओबीसी श्रेणी में नहीं आता था। इसी कारण से, 21 जनवरी, 2008 से पहले की तारीख वाले प्रमाण-पत्र पर जोर देना मनमाना होगा और इसे खारिज किया जाना चाहिए।*** *मेरे संज्ञान में यह भी लाया गया है कि उस मामले में भी प्रत्यर्थीगण की ओर से वही अधिवक्ता पेश हुए थे और उस निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है। इस मामले में भी याचिकाकर्ताओं के आवेदन को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार यह था कि ओबीसी प्रमाण-पत्र 'कट-ऑफ तिथि' के बाद जारी किया गया था और इसलिए वे विचार हेतु पात्र नहीं थे। प्रत्यर्थी ने सुश्री पुष्पा के मामले (पूर्वोक्त) में निर्णय को अलग करने या मुझे अन्यथा मानने के लिए राजी करने के लिए किसी अन्य प्राधिकारी का हवाला नहीं दिया है।*
>
> *8. परिणामस्वरूप, सुश्री पुष्पा बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (पूर्वोक्त) के मामले में उपरोक्त निर्णय में दर्ज कारणों से याचिका का निपटारा किया*

जाता है और प्रत्यर्थीगण को एक महीने की अवधि के भीतर ओबीसी श्रेणी के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर फिर से विचार करने और ओबीसी अभ्यर्थीगण को उपलब्ध छूट को ध्यान में रखते हुए परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया जाता है।

[जोर दिया गया]

46. इसके बाद, ***राम कुमार गिजरोया (डीबी)*** मामले में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने इस तथ्य पर जोर दिया कि इसमें पांच में से चार प्रत्यर्थीगण ने कट-ऑफ तिथि के बाद ओबीसी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया था और शेष एकमात्र प्रत्यर्थी ने कट-ऑफ तिथि से केवल 10 दिन पहले आवेदन किया था। ***पुष्पा (पूर्वोक्त)*** मामले में निर्णय इसलिए अलग था क्योंकि खंड न्यायपीठ के अनुसार, अधिकारियों की ओर से की गई देरी के कारण कट-ऑफ तिथि का उल्लंघन माफ किया गया था। यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि खंड न्यायपीठ ने ***पुष्पा (पूर्वोक्त)*** मामले पर विचार नहीं किया, यह घोषित करने के लिए कि कट-ऑफ तिथि का अनुरोध मनमाना है, जो कि विद्वान एकल न्यायाधीश की व्याख्या थी।

47. इसके अतिरिक्त, खंड न्यायपीठ की कुछ टिप्पणियों और निष्कर्षों का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद के आदेश के दायरे को समझने में मदद करेंगे। पैराग्राफ सं. 17 में, खंड न्यायपीठ ने ध्यान दिया कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि कट-ऑफ तिथि

तक आवेदन सहित ओबीसी श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा। सामग्री भाग निम्नानुसार हैः-

> *"17. इसके विपरीत, अपील में विज्ञापन के साथ-साथ रिट याचिका में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि कट-ऑफ तिथि तक आवेदन के साथ ओबीसी श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा..."*

48. इसके अतिरिक्त, पैराग्राफ सं. 19 में, खंड न्यायपीठ ने ओबीसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता को गुणागुण के समान माना, जिसका अर्थ है कि गुणागुण के समान, ओबीसी प्रमाण पत्र कट-ऑफ तिथि पर होना चाहिए। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उल्लेख किया है, खंड न्यायपीठ का यह निष्कर्ष पुष्पा (पूर्वोक्त) के विरुद्ध था, इस अर्थ में कि इसने परीक्षा के लिए योग्यता (उदाहरण हेतु मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र की आवश्यकता) और ओबीसी प्रमाण पत्र के बीच अंतर पैदा कर दिया, जो पहले से मौजूद पात्रता का मात्र प्रमाण है। इसके अलावा, पैराग्राफ संख्या 19 में खंड पीठ ने प्रत्यर्थी द्वारा वर्तमान में दिए जा रहे तर्क पर बहुत ज़ोर दिया- कि जिनके पास प्रमाणपत्र- नहीं है और जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, उनके साथ भेदभाव किया जाएगा और उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाएगा। पैराग्राफ संख्या 19 को इस प्रकार से पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"19. अन्यथा, जो योग्यता हमारे द्वारा देखी गई है, वह ओबीसी प्रमाण-पत्र जमा करने पर भी समान रूप से लागू होती है। यह बहुत संभव है कि कई अन्य ओबीसी उम्मीदवार, जो अन्यथा पात्र थे, लेकिन कट ऑफ तिथि तक उनके पास ओबीसी प्रमाणपत्र नहीं था, ने इस विश्वास के तहत आवेदन नहीं किया कि आवेदन के साथ ओबीसी प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक है और उनके पास यह नहीं होने के कारण, उनके आवेदन अपूर्ण होंगे और विचारणीय नहीं होंगे। यह भी संभव है कि, यदि ऐसे अन्य लोगों ने आवेदन किया होता और प्रतिस्पर्धा की होती, तो अपील में प्रत्यर्थी और/या रिट याचिका में याचिकाकर्ता पात्र नहीं होते। अपील में प्रत्यर्थी और रिट याचिका में याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से जानते थे कि उनके आवेदन अधूरे थे और फिर भी उन्होंने आवेदन किया। यह न्यायालय ऐसा कानून नहीं बना सकता जो इस तरह के कृत्यों को प्रोत्साहित करे। विज्ञापन में उल्लिखित नियम और शर्तें भावी आवेदकों को मार्गदर्शन/निर्देश देने के लिए थीं और उन्हें कम करने का कोई कारण नहीं है। वैसे भी, यह न्यायालय चयन/नियुक्ति की शर्तों के विपरीत आदेश/निर्देश जारी करने से कतराएगा (देखें कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम अशरफुल्ला खान (2002) 2 एससीसी 560, एफसीआई बनाम राम केश यादव (2007) 9 एससीसी 531, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय बनाम सुरजीत कौर जेटी 2010 (7) एससी 177 और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुभाष कुमार चटर्जी (2010) 11 एससीसी 694)।"

49. ***राम कुमार गिजरोया (एससी)*** मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष, खण्ड पीठ के निर्णय को दरकिनार कर दिया गया और विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को बहाल कर दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने राय दी कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने आरक्षण की संवैधानिक पृष्ठभूमि और

जिस उद्देश्य के लिए उन्हें पेश किया गया था, उसकी सही सराहना की थी। फैसले का महत्वपूर्ण भाग इस प्रकार हैः-

> *"18. हमारे सुविचारित राय में, पुष्पा [पुष्पा बनाम सरकार (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), 2009 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 281] में दिया गया निर्णय इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की स्थिति के अनुरूप है, जिसे ऊपर संदर्भित किया गया है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को उलटने में गलती की, इंद्रा साहनी [इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 पूरक (3) एससीसी 217: 1992 एससीसी (एल व एस) पूरक 1 में इस न्यायालय की संविधान पीठों द्वारा निर्धारित प्रश्न पर बाध्यकारी मिसाल पर ध्यान दिए बिना: (1992) 22 एटीसी 385] और वलसम्मा पॉल [वलसम्मा पॉल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय, (1996) 3 एससीसी 545: 1996 एससीसी (एल व एस) 772: (1996) 33 एटीसी 713] जिसमें इस न्यायालय ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 39-क की व्याख्या के बाद कहा कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य सार्वजनिक रोजगार में असमानता को दूर करना है चूंकि इन श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार सदियों के उत्पीड़न और अवसर से वंचित होने के परिणामस्वरूप सामान्य श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। संविधान की प्रस्तावना और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 39-क में आरक्षण की संवैधानिक अवधारणा समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देने की अवधारणा को प्राप्त करने के लिए है। इस प्रकार, खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को पलटने में गलती की। इसलिए, लेटर्स पेटेंट अपील सं. 562/2011 में खंड पीठ द्वारा पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और आदेश न केवल त्रुटिपूर्ण है, बल्कि कानूनी त्रुटि*

से भी ग्रस्त है क्योंकि यह इंद्रा साहनी [इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 पूरक (3) एससीसी 217: 1992 एससीसी (एल व एस) सप 1: (1992) 22 एटीसी 385] और वलसम्मा पॉल [वलसम्मा पॉल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय, (1996) 3 एससीसी 545: 1996 एससीसी (एल एंड एस) 772: (1996) 33 एटीसी 713] में इस न्यायालय के निर्णयों की बाध्यकारी मिसाल का पालन करने में विफल रहा है। इसलिए, उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश [दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड बनाम राम कुमार गिजरोया, 2012 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 472: (2012) 128 डीआरजे 124] को रद्द किया जाना चाहिए और तदनुसार रद्द किया गया। राम कुमार गिजरोया बनाम सरकार (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [राम कुमार गिजरोया बनाम सरकार (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), रि.या. (सि) संख्या 382/2009, आदेश दिनांक 24-11-2010 (दिल्ली)] में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 24-11-2010 को बहाल किया जाता है।"

50. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***पुष्पा (पूर्वोक्त)*** को उस मामले में लागू पाया जहां- (1) विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कट-ऑफ तिथि से पहले आवेदन के साथ ओबीसी प्रमाण-पत्र दाखिल करने का प्रावधान है; और (2) ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए कट-ऑफ तिथि के बाद आवेदन किया गया है।

51. ***अनिल कुमार व अन्य (पूर्वोक्त)*** का निर्णय भी महत्वपूर्ण है। खंड पीठ ने पाया कि विज्ञापन आमतौर पर दोनों याचिकाकर्ताओं के मामलों में खंड 4(ग) के तहत लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि ओबीसी का दावा करने वाले

उम्मीदवारों को दिनांक 04.03.2011 से पहले तीन साल के भीतर विधिवत जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। याचिकाकर्ताओं ने मूल रूप से अपने आवेदनों के साथ, ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे जो तीन साल पहले के थे और इस प्रकार, विज्ञापन के अनुसार आवश्यकता का उल्लंघन किया था। तथापि, बाद में, उन्होंने दिनांक 02-12-2011 और 25-01-2011 को अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए।

52. खंडपीठ ने ***हरि सिंह बनाम कर्मचारी चयन आयोग*** मामले पर निर्भर किया जिसमें अभ्यर्थी ने शुरू में दोषपूर्ण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन बाद में कट-ऑफ तिथि के बाद सही प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया और न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि कट-ऑफ तिथि की व्याख्या ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी को लाभ पहुंचाने के रूप में की जानी चाहिए, न कि उसे बाहर करने के रूप में। ***हरि सिंह (पूर्वोक्त)*** में की गई व्याख्या आरक्षण की संवैधानिक योजना और उद्देश्य पर आधारित थी और ***वलसम्मा पॉल (पूर्वोक्त)*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुरूप थी, जिसे ***अनिल कुमार (पूर्वोक्त)*** में दोहराया गया है जिसमें यह माना गया था कि- कट-ऑफ तारीख का मतलब यह है कि कट-ऑफ तारीख के बाद ओबीसी उम्मीदवार के क्रीमी लेयर में आने से परीक्षा/आवेदन के उद्देश्य के लिए उनकी ओबीसी स्थिति प्रभावित नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि कट-ऑफ तिथि के बाद भी ओबीसी प्रमाण पत्र स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी

क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उम्मीदवार ऐसी तिथि से पहले क्रीमी लेयर में आता हो। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उम्मीदवार के क्रीमी लेयर का हिस्सा बनने की संभावना अधिक है। ***अनिल कुमार (पूर्वोक्त)*** का महत्वपूर्ण भाग जो ***हरि सिंह (पूर्वोक्त)*** पर निर्भर करता है, इस प्रकार है:-

> *"9. हरि सिंह (पूर्वोक्त) में, खंड पीठ को समान तथ्य की स्थिति से निपटना पड़ा जहां उम्मीदवार ने शुरू में दोषपूर्ण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन बाद में खंड 4(ख) के साथ समान शब्दों में निर्दिष्ट कट-ऑफ तिथि के बाद जैसा कि वर्तमान मामले में है, सही प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने श्रीमती वल्सम्मा पॉल बनाम कोच्चि विश्वविद्यालय, (1996) 3 एससीसी 545 एआईआर 1996 एससी 1011 में* उच्चतम *न्यायालय के निर्णय सहित कुछ पिछले निर्णयों पर ध्यान दिया जिसमें न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि संबंधित नागरिक को मानवाधिकारों की प्रगति के साथ अपनी उत्कृष्टता, समान स्थिति और गरिमा में सुधार करने के लिए आरक्षण का अवसर प्रदान किया जाता है, और यह अभिनिर्धारित किया कि उचित समय के भीतर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना भले ही वह नौकरी के लिए आवेदन करने के समय न हो क्रम में होगा और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। हरि सिंह (पूर्वोक्त) मामले में पीठ ने दीपक बनाम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, पुणे एआईआर 1997 (बॉम्बे) 1 में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकरण के* निर्णय *का भी उल्लेख किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के आवेदन को स्वीकार करने के लिए जाति सत्यापन की आवश्यकता को पूर्व शर्त नहीं बनाया जा सकता है। हरि सिंह (पूर्वोक्त) में न्यायालय ने अंततः इस प्रकार निर्णय दियाः*

"47. प्रश्नगत सार्वजनिक सूचना में दिया गया यह निर्देश कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अभ्यर्थी की अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति की गणना की तारीख माना जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर में नहीं आता है, हमारे विचार से, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लाभ के लिए तैयार किया गया निर्देश है न कि उन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर करने के प्रयोजन के लिए। खंड 4(ख) (ऊपर पैरा 5 में निर्धारित) के तहत नोट यह प्रदान करता है कि यदि किसी उम्मीदवार को ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में प्रमाणित किया जाता है जो आवेदन जमा करने की तारीख (अर्थात् इस मामले में 14.09.2007) की समाप्ति से पहले क्रीमी लेयर के भीतर नहीं आता है तो उम्मीदवार को ओबीसी उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा जो प्रश्नगत परीक्षा के उद्देश्य से क्रीमी लेयर में नहीं आता है और यह मुद्दा कि उम्मीदवार बाद में क्रीमी लेयर में आ गया हो यानी बंद होने की तारीख के बाद, ऐसे उम्मीदवार को आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए प्रासंगिक नहीं होगा।

48. खंड 4(ख) से जुड़े टिप्पण में दिए गए निर्देश केवल बाद की तारीख में जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्र को स्वीकार करने से कम नहीं हो जाते। उम्मीदवार जो सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा तय की गई तारीख से बाद की तारीख में ओबीसी से संबंधित और क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं होने के रूप में प्रमाणित होता है, उसे प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से पहले किसी भी तारीख को क्रीमी लेयर के तहत आने वाला नहीं माना जा सकता है। इस तरह की धारणा का कोई आधार नहीं होगा। ऐसी संभावना बहुत कम है। वास्तव में, अधिक संभावना यह है कि जिस उम्मीदवार को ओबीसी उम्मीदवार के रूप में प्रमाणित किया गया है और वह क्रीमी लेयर से बाहर है, वह बाद में क्रीमी लेयर में शामिल हो सकता है।

49. किसी भी घटना में, हम यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि प्रत्यर्थीगण को आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए किसी भी उम्मीदवार की पात्रता के मुद्दे की जांच करने से रोका जाए। लेकिन, वे ऐसे उम्मीदवार की

उम्मीदवारी को आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में खारिज नहीं कर सकते हैं और संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर "अनंतिम रूप से" विचार करने के लिए बाध्य हैं और अंतिम निर्धारण के अधीन, संबंधित व्यक्ति को अन्यथा योग्य और मेधावी पाए जाने पर नियुक्त भी कर सकते हैं। इसी तरह की दलीलें इस न्यायालय द्वारा अनु देवी (पूर्वोक्त) और पूनम चौहान (पूर्वोक्त) में पहले ही खारिज कर दी गई हैं।"

53. इसके अलावा, ***अनिल कुमार (पूर्वोक्त)*** मामले में, इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने ***राम कुमार गिजरोया (एससी)*** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पहले, ***राम कुमार गिजरोया (डीबी)*** की शुद्धता पर संदेह किया था। इसने ऐसा निम्नलिखित आधारों पर किया- सबसे पहले, हरि सिंह (पूर्वोक्त) के निर्णय पर ध्यान नहीं दिया गया और वलसम्मा पॉल (पूर्वोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए निर्धारित आदेश की भी अनदेखी की गई; दूसरे, ओबीसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता को योग्यता के समान मानना गलत था, क्योंकि ओबीसी प्रमाण पत्र केवल उस चीज का प्रमाण है जो पहले से मौजूद है; और तीसरा, उन लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का तर्क जिन्होंने अपने प्रमाणपत्रों के क्रम में नहीं होने के कारण आवेदन नहीं किया था, प्रमाणपत्रों के मामले पर लागू नहीं होता था। उपर्युक्त से संबंधित निर्णय का महत्वपूर्ण भाग निम्नानुसार है:

"10. जहां तक प्रत्यर्थीगण द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का संबंध है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राम कुमार गिजरोया (पूर्वोक्त) में, हरि सिंह

(पूर्वोक्त) में निर्णय पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था और न ही श्रीमती वलसम्मा पॉल (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, ऐसे मामलों में उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, ध्यान दिया गया। न्यायालय को यह तर्क देने के लिए राजी किया गया कि, " कई अन्य ओबीसी अभ्यर्थी, जो अन्यथा पात्र थे, लेकिन कट ऑफ तिथि तक उनके पास ओबीसी प्रमाणपत्र नहीं था, उन्होंने इस विश्वास के साथ आवेदन नहीं किया कि आवेदन के साथ ओबीसी प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक है और उनके पास प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण, उनके आवेदन अपूर्ण होंगे और विचारणीय नहीं होंगे।" इस न्यायालय की राय में, इस तरह के तर्क उन उम्मीदवारों के मामले में पूरी तरह से लागू होंगे जो योग्य नहीं हैं, लेकिन बाद में योग्यता प्राप्त करते हैं। यह उन लोगों पर पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता है जो योग्य है, लेकिन वे अपने प्रमाणपत्रों की वैधता के संबंध में सरकार के नीतिगत बदलावों में फंस गए हैं। जैसा कि हरि सिंह (पूर्वोक्त) और सुश्री अनु देवी (पूर्वोक्त) में देखा गया है, प्रमाणपत्र केवल उसी बात का सबूत है जो हमेशा से मौजूद थी, यानी उम्मीदवारों की ओबीसी श्रेणी से संबंधित स्थिति जो क्रीमी लेयर से नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह अंतिम तिथि के बाद या भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऐसा दर्जा प्राप्त करता है, जैसा कि उम्मीदवार के मामले में होता है जो बाद में शैक्षणिक योग्यता को पूरा करता है।

54. ***मुकेश कुमार यादव व अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार व अन्य*** के मामले में निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***राम कुमार गिजरोया (एससी)*** और ***अनिल कुमार (पूर्वोक्त)*** में दिए गए निर्णय से पहले पारित किया गया था। ***मुकेश कुमार यादव (पूर्वोक्त)*** मामले में, न्यायालय ने ***राम कुमार***

गिजरोया (डीबी) में इस न्यायालय की खंड पीठ के आदेश की व्याख्या उन मामलों के बीच अंतर पैदा करने के रूप में की जहां कट-ऑफ तिथियां निर्धारित की गई हैं या जहां नहीं गयी और ***पुष्पा (पूर्वोक्त)*** के जनादेश को केवल बाद की श्रेणी तक सीमित कर दिया। उक्त मामले में, याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन के साथ दोषपूर्ण ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन बाद में कट-ऑफ तारीख के बाद सही ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इस तरह के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, खंड पीठ ने बाद की प्रस्तुति को अमान्य पाया। निर्णय का महत्वपूर्ण हिस्सा निम्नानुसार है: -

> *"3. यह मुद्दा अब एकीकृत नहीं रह गया है। 2012(128) डीआरजे 124 (डीबी) डीएसडीएस बनाम राम कुमार गिजरोया के रूप में प्रकाशित किए गए निर्णय में इस मुद्दे पर विभिन्न अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि जहाँ कोई कट-ऑफ तिथियाँ निर्धारित नहीं हैं और जहाँ कट-ऑफ तिथियाँ निर्धारित हैं, वहाँ अंतर करने की आवश्यकता है। जब भी कट-ऑफ तिथियाँ निर्धारित की जाती हैं और यह निर्दिष्ट किया जाता है कि न केवल आवेदन बल्कि उसके अनुलग्नक कट-ऑफ तिथि को या उससे पहले दाखिल किए जाने चाहिए, तो कट-ऑफ तिथि के बाद कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई अप्रासंगिक होगी।*

55. इसके बाद यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा जहां ***राम कुमार गिजरोया (एससी)*** की शुद्धता पर संदेह व्यक्त किया गया और ***कर्ण सिंह यादव (पूर्वोक्त)*** में आदेश द्वारा मामले को तीन माननीय न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को भेजा गया। माननीय तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ***कर्ण सिंह यादव बनाम***

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व अन्य, में दिए गए आदेश और निर्णय के माध्यम से, इस न्यायालय के लिए, कहने की आवश्यकता नहीं है, उस सत्यता का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय की माननीय तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पाया कि इसमें दिए गए तथ्य राम कुमार गिजरोया (एससी) के निर्णय के अंतर्गत आते हैं। जिसका महत्वपूर्ण भाग इस प्रकार है:-

> *"3. हम वर्तमान में दिल्ली नगर निगम के "ए" ग्रेड स्टाफ नर्स के पदों के लिए दिनांक 30.08.2007 के विज्ञापन के माध्यम से जारी चयन प्रक्रिया से चिंतित हैं। अपीलकर्ता ने अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति के रूप में अपनी उम्मीदवारी की पेशकश की थी। हालाँकि उनकी उम्मीदवारी को अधिकारियों द्वारा अन्य बातों के साथ साथ आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उन्हें उस समुदाय से संबंधित होने का प्रमाण देने वाले दस्तावेज़ कट-ऑफ तिथि से पहले दाखिल नहीं किए गए थे।*
>
> *4. इस तरह की अस्वीकृति के लिए अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई चुनौती को कोई सफलता नहीं मिली और उच्च न्यायालय ने वर्तमान में चुनौती के तहत आदेश द्वारा रिट याचिका को सीमित रूप से खारिज कर दिया।*
>
> *5. यहाँ यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि राम कुमार गिजरोया बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, (2016) 4 एससीसी 754 में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए एक समान तथ्य स्थिति सामने आई, जिसमें इस न्यायालय ने संबंधित उम्मीदवार के पक्ष में फैसला सुनाया। इस प्रकार तत्काल मामला पूरी तरह से उक्त निर्णय द्वारा आच्छादित किया जाता है।*

56. इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, यदि प्रारंभिक चरण में उम्मीदवार द्वारा कोई दोषपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो कट ऑफ तिथि की समाप्ति के बाद सही ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, जहां विज्ञापन में स्पष्ट रूप से ऐसे प्रस्तुतीकरण के लिए कट-ऑफ तिथि प्रदान की जाती है, अपने आप में अयोग्यता का आधार नहीं बनेगा।

57. वर्तमान मामले के तथ्यों में यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता महत्वपूर्ण समय अवधि के दौरान ओबीसी-एनसीएल श्रेणी में था। याचिकाकर्ता के पास दिनांक 02.10.2022 और 23.11.2023 के ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र भी थे जो संचयी रूप से दर्शाते हैं कि वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 के दौरान उनकी आय भारत सरकार की आवश्यकताओं के अनुरूप थी और उन्हें ओबीसी-एनसीएल आरक्षण प्राप्त करने के योग्य बनाती थी।

58. याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन के साथ जो ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था वह दिनांक 02.10.2022 का था और दिनांक 31.03.2023 तक वैध था। यह दर्शाता है कि वि.व. 2019-20, 2020-21,2021-22 में उनकी आय का स्तर ओबीसी-एनसीएल आरक्षण का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार की आवश्यकताओं के अनुरूप था। हालाँकि, जैसे ही प्रत्यर्थी ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख विवरण पत्रिका की आवश्यकता के अनुरूप नहीं थी इसलिए याचिकाकर्ता को वैध ओबीसी-एनसीएल

प्रमाण-पत्र जमा करने का एक और मौका दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 23.11.2023 का दूसरा ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 से संबंधित याचिकाकर्ता की आय भारत सरकार की आवश्यकताओं के अनुरूप थी और उसे कम से कम वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ओबीसी-एनसीएल आरक्षण के लिए पात्र बनाती थी।

59. ***पुष्प (पूर्वोक्त)*** और ***राम कुमार गिजरोया (एससी)*** में आधिकारिक घोषणाओं के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि बताई गई कट-ऑफ तिथि के दौरान ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र किए जाने पर प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए जोर का शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण के उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। इसके अलावा, ***राम कुमार गिजरोया (न्या.खं.)*** मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ के आदेश के साथ पठित ***अनिल कुमार (पूर्वोक्त)***, ***राम कुमार गिजरोया (एससी)*** को लागू करते हुए यह स्पष्ट है कि ओबीसी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता को शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के बराबर नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार यह उचित आधार के अनुरूप होना चाहिए। क्योंकि, आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र केवल मौजूदा तथ्य का प्रमाण है। प्रमाण-पत्र केवल मौजूदा तथ्य को प्रमाणित करता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र दिनांक 23.11.2023 पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रवेश के उद्देश्य के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि उक्त श्रेणी से संबंधित अन्य शर्तों को पूरा किया जाए।

<u>निर्धारित समय-सीमा/कट ऑफ की संवैधानिक वैधता</u>

60. अक्सर, न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत मुद्दे बड़े पैमाने पर समाज और उसे परेशान करने वाले मुद्दों का प्रतिबिंब होते हैं। उक्त टिप्पणी रिट क्षेत्राधिकार में अधिक प्रासंगिक है, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों को राज्य और उसके उपकरणों के विरुद्ध खड़ा किया जाता है। इस संबंध में, यह न्यायालय आहर्ता की प्रकृति की जांच करना उचित और उपयुक्त मानती है अर्थात ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र के संबंध में समय सीमा का निर्धारण और कट-ऑफ प्राप्त करने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित उद्देश्य पर विचार किए बिना विवरण पुस्तिका में प्रत्यर्थी द्वारा तय किया गया है और यह निर्धारित करता है कि क्या ऐसी अर्हरता कानूनी रूप से मान्य है।

61. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है दिनांक 15.09.2023 की विवरण पत्रिका के लिए आवश्यक है कि ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र दिनांक 06.11.2022 से 05.11.2023 के बीच जारी किया गया हो। इस आवश्यकता का प्रभाव केवल तकनीकी नहीं है। बल्कि, ऐसी अर्हरता या पूर्व शर्त आरक्षण नीति के मूल आधार पर ही प्रहार करती है, जिसे सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नेक तरीके से तैयार किया गया है। ऐसी शर्त लागू होने का सीधा प्रभाव वैध संवैधानिक अधिकार से वंचित करना है, वह भी अधिक से अधिक प्रशासनिक आवश्यकता के कारण।

62. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जाति के आधार पर आरक्षण नीति का क्रियान्वयन कोई सीधा काम नहीं है। क्रियान्वयन की प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से नियमों और विनियमों के समूह शामिल होते हैं जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले प्रशासन का मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं। इस तरह के ढांचे की आवश्यकता इस तथ्य के मद्देनजर है कि अगर आरक्षण नीति को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो इसका दुरुपयोग हो सकता है, जिसका असर योग्य उम्मीदवारों को वंचित करने पर पड़ सकता है। ऐसी ही सुरक्षा ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा है।

63. क्रीमी लेयर की अवधारणा के बारे में पहले के संदर्भों में से ***केरल राज्य बनाम एनएम थॉमस*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में पाया जा सकता है, जिसमें 'क्रीमी लेयर' शब्द को पहली बार वर्ग के कमज़ोर सदस्यों को उसी वर्ग के संपन्न व्यक्तियों द्वारा किनारे किए जाने के खिलाफ़ सतर्कता के साधन के रूप में पेश किया गया था। निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ़ इस प्रकार है:-

> ***"124. सामाजिक सतर्कता हेतु एक शब्द। अनुभव के प्रकाश में, यहां और अन्य जगहों पर, "आरक्षण" का खतरा, मुझे तीन गुना लगता है। बड़े पैमाने पर इसके लाभ "पिछड़ी" जाति या वर्ग की शीर्ष क्रीमी लेयर द्वारा छीन लिए जाते हैं, इस प्रकार कमजोर लोगों में सबसे कमजोर हमेशा कमजोर रहता है और सारा फायदा ताकतवर श्रेणी के लोग ले जाते हैं। दूसरे, यह दावा लोकतंत्र में बड़े और मुखर समूहों द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से किया जाता है, जिनके पिछड़ेपन का बोझ समय के साथ और बेहतर शिक्षा तथा***

रोजगार के अधिक अवसरों के उपायों के कारण काफी हद तक हल्का हो गया है लेकिन वे "कमजोर वर्ग" के लेबल को औपचारिक रूप से उच्च वर्ग के रूप में वर्गीकृत अपने लगभग बराबर के लोगों पर बढ़त हासिल करने के साधन के रूप में बनाये रखना चाहते हैं। अंत में, समस्या का स्थायी समाधान केवल सामाजिक परिवेश में सुधार, अतिरिक्त शैक्षिक सुविधाओं और अंतर-जाति और अंतर-वर्गीय विवाहों द्वारा जातियों के आपस में निषेचन से आता है जो बड़े राज्य कार्यक्रम के रूप में प्रायोजित है और यह समाधान पिछड़ेपन के लाभों में निहित स्वार्थ वाले अधिक "पिछड़े" समूहों द्वारा जानबूझकर छिपाया जाता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, न्यायिक प्रभाववाद नहीं, अकेले पूरी सच्चाई बताएगा और "दबी हुई" श्रेणियों द्वारा पंजीकृत प्रगति के वस्तुनिष्ठ पुनर्मूल्यांकन की निरंतर प्रक्रिया आवश्यक है कि ऐसा न हो कि एक बार "आरक्षण" के योग्य को "विपरीत भेदभाव" में अपमानित किया जाए। वास्तव में अछूते, सबसे पिछड़े वर्गों की मदद करने के लिए प्रशासनिक रणनीति में नवाचार भी ऐसे सामाजिक-कानूनी अध्ययनों और लेखा परीक्षा अभ्यासों से उभर कर आते हैं, अगर निष्पक्ष रूप से किए जाएं। वास्तव में, ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, पटना द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि हरिजनों के बीच एक दोहरा समाज है, एक छोटा अभिजात वर्ग जो लाभ को उपभोग करता है और गरीब तबके विशेष रियायतों से वंचित रखे जाते हैं। उनके लिए, अनुच्छेद 46 और 335 एक "उच्च स्तरीय प्रेम" बने हुए हैं [जैसा कि हक्सले ने इसे "एडमिनिस्ट्रेटिव निहिलिस्म" (मेथड्स एंड रिजल्ट्स, एकत्रित निबंधों का जिल्द 4) में कहा है], सारे लाभ उच्च हरिजन को प्राप्त हैं। मैं वर्तमान मामले में इसका उल्लेख करता हूं क्योंकि निचले तबके के क्लर्कों को हरिजन मानवता के निम्नतम स्तरों से आकर्षित किए जाने की संभावना है और कुछ समय के लिए, इस श्रेणी के लिए "परीक्षण" योग्यता को वापस लेने से पदोन्नति की संभावनाओं में तेजी आ सकती है। पदानुक्रमिक संरचना में समानतावादी सफलता के लिए कई हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है और नियम 13-कक शायद उनमें से एक है।"

[जोर दिया गया]

64. 1992 में, ***इंदिरा साहनी (पूर्वोक्त)*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखते हुए, बहुमत से कहा कि सरकार को उचित आय, संपत्ति या हैसियत का मानदंड निर्धारित करके पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर को बाहर करना चाहिए और उक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक 'आय टेस्ट' तैयार किया। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैं:-

> "*790. इस चर्चा में* 'आय-*टेस्ट' उन व्यक्तियों (पिछड़े वर्ग से) को बाहर करने के उद्देश्य से आय सीमा लागू करने का संकेत देता है, जिनकी आय उक्त सीमा से अधिक है। इस प्रस्तुति को अक्सर "क्रीमी लेयर" तर्क के रूप में संदर्भित किया जाता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नामित पिछड़े वर्गों के कुछ सदस्य सामाजिक के साथ-साथ आर्थिक और शैक्षिक रूप से अत्यधिक उन्नत हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि वे उस विशेष पिछड़े वर्ग के अग्रिम भाग का गठन करते हैं - किसी भी अन्य अग्रिम वर्ग के सदस्य की तरह ही अग्रिम - और वे उस वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के सभी लाभों को हड़प रहे हैं, बिना उस वर्ग के वास्तविक पिछड़े सदस्यों तक लाभ पहुँचाए। ये लोग किसी भी तरह से पिछड़े नहीं हैं और उनके साथ किसी वर्ग को पिछड़ा नहीं माना जा सकता।यह बताया गया है कि जय श्री [(1976) 3 एससीसी 730 (1977) 1 एससीआर 194] के बाद से लगभग हर निर्णय ने इस प्रस्तुति की वैधता को स्वीकार किया है।*
>
> ****

792. हमारी राय में, यह इस तरह के परीक्षण की अनुमति या वांछनीयता का सवाल नहीं है, बल्कि पिछड़े वर्ग की उचित और अधिक उपयुक्त पहचान का सवाल है। वर्ग की अवधारणा कुछ सामान्य लक्षणों वाले कई व्यक्तियों को दर्शाती है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। अनुच्छेद 16 के खंड (4) के तहत पिछड़े वर्ग में, यदि जोड़ने वाली कड़ी सामाजिक पिछड़ापन है, तो मोटे तौर पर यह किसी दिए गए वर्ग में समान होना चाहिए। यदि कुछ सदस्य सामाजिक रूप से बहुत अधिक उन्नत हैं (जिसका संदर्भ में आवश्यक रूप से आर्थिक और शैक्षिक रूप से भी अर्थ हो सकता है) तो उनके और शेष वर्ग के बीच जोड़ने वाला धागा टूट जाता है। वे कक्षा में अनुपयुक्त होंगे। उन्हें अकेले बाहर करने के बाद, क्या वर्ग एक सुगठित वर्ग होगा। वास्तव में, इस तरह के बहिष्कार से असली पिछड़े लोगों को लाभ होता है। हालाँकि, समस्या वास्तव में लकीर खींचने में है कि लकीर को कैसे और कहाँ खींचा जाए? क्योंकि, लकीर खींचते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह एक हाथ से दूसरे हाथ द्वारा दी गई चीज़ को छीन न ले। बहिष्करण का आधार केवल आर्थिक नहीं होना चाहिए, जब तक कि, निश्चित रूप से, आर्थिक प्रगति इतनी अधिक न हो कि इसका मतलब अनिवार्य रूप से सामाजिक उन्नति हो। आइए हम बात को स्पष्ट करते हैं। बढ़ई जाति के एक सदस्य का कहना है कि पिछड़े वर्ग का एक सदस्य मध्य पूर्व में जाता है और वहां बढ़ई के रूप में काम करता है। यदि आप उसकी वार्षिक आय को रुपये में लेते हैं, तो यह भारतीय मानक से काफी अधिक होगी। तो क्या उसे पिछड़े वर्ग से बाहर रखा जाना चाहिए? क्या भारत में उनके बच्चों को अनुच्छेद 16 (4) के लाभ से वंचित किया जाएगा? हालाँकि, स्थिति अलग हो सकती है, अगर वह आर्थिक रूप से इतना ऊपर उठ जाता है कि खुद एक कारखाने का मालिक बन जाता है। ऐसे में उनकी सामाजिक स्थिति भी बढ़ जाती है। वह स्वयं दूसरों को रोजगार प्रदान करने की स्थिति में होगा। ऐसे मामले में, उसकी आय केवल उसकी सामाजिक स्थिति का एक पैमाना है। अन्यथा भी आय सीमा लागू करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी हैं। उदाहरण के लिए, बॉम्बे, दिल्ली

या कलकत्ता जैसे शहर में 36,000 रुपये की वार्षिक आय ज्यादा नहीं हो सकती है, जबकि ग्रामीण भारत में कहीं भी यह एक अच्छी आय हो सकती है। खींची जाने वाली लकीर यथार्थवादी होनी चाहिए। एक अन्य सवाल यह होगा कि क्या इस तरह की लकीर पूरे देश या किसी विशेष राज्य के लिए समान होनी चाहिए या क्या यह ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में भिन्न होनी चाहिए। इसके अलावा, कृषि से आय का आकलन करना मुश्किल हो सकता है और इसलिए, किसानों के मामले में, स्वामित्व की सीमा के संदर्भ में लकीर खींचनी पड़ सकती है। यद्यपि किसी व्यक्ति की आय को उसकी सामाजिक उन्नति का मापदण्ड माना जा सकता है, किन्तु निर्धारित की जाने वाली सीमा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक हाथ से जो दिया गया है, उसे दूसरे हाथ से छीन लिया जाए। आय सीमा ऐसी होनी चाहिए जिसका अर्थ सामाजिक उन्नति हो। साथ ही, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि कुछ पद हैं, जिनमें रहने वालों को बिना किसी आगे की जांच के सामाजिक रूप से उन्नत माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी नामित पिछड़े वर्ग का कोई सदस्य आईएएस. या आईपीएस या किसी अन्य अखिल भारतीय सेवा का सदस्य बन जाता है, तो उसकी समाजिक स्थिति (सामाजिक स्थिति) में वृद्धि होती है; वह अब सामाजिक रूप से वंचित नहीं है। उनके बच्चों को अपनी क्षमता का एहसास करने का पूरा मौका मिलता है। वे जीवन की दौड़ में किसी भी तरह से विकलांग नहीं हैं। उनका वेतन भी ऐसा है कि वे अभाव से परे हैं। यह तर्कसंगत है कि ऐसी स्थिति में उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। क्योंकि उन्हें आरक्षण का लाभ देकर, उस पिछड़े वर्ग के अन्य वंचित सदस्य उस लाभ से वंचित हो सकते हैं। इसके बाद प्रत्यार्थीगण के लिए यह तर्क दिया जाता है कि "एक फूल के खिलने से बहार नहीं आती ", और केवल इसलिए कि किसी जाति या वर्ग के कुछ सदस्य सामाजिक रूप से उन्नत हो जाते हैं, इस तरह का वर्ग/जाति पिछड़ा नहीं रह जाता है। यह इंगित किया गया है कि अनुच्छेद 16 के खंड (4) का उद्देश्य सामूहिक पिछड़ेपन है न कि व्यक्तिगत पिछड़ेपन। जबकि हम इस बात से सहमत हैं कि खंड (4) समूह

<u>पिछड़ेपन को लक्षित करता है, हमें लगता है कि ऐसे सामाजिक रूप से उन्नत सदस्यों को बाहर करने से "वर्ग" वास्तव में पिछड़ा वर्ग बन जाएगा और खंड (4) के उद्देश्य और लक्ष्य को अधिक उचित रूप से पूरा करेगा।</u> (यह चर्चा केवल अन्य पिछड़े वर्गों तक ही सीमित है और अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के मामले में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है)।

793. इन सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए, हम भारत सरकार को बहिष्करण का आधार निर्दिष्ट करने का निर्देश देते हैं- चाहे वह आय, स्वामित्व की सीमा या अन्यथा 'क्रीमी लेयर' के आधार पर हो। यह जल्द से जल्द किया जाएगा, लेकिन चार महीने से अधिक नहीं। ऐसे विनिर्देशन पर बहिष्करण नियम के दायरे में आने वाले व्यक्ति अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (अभिव्यक्ति "नागरिकों के पिछड़े वर्ग" के अंतर्गत आते हैं) के सदस्य नहीं रह जाएंगे। 13 अगस्त, 1990 और 25 सितंबर, 1991 के विवादित कार्यालय ज्ञापन केवल ऐसे विनिर्देशन और उक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा परिकल्पित पिछड़े वर्गों से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों के बहिष्करण के अधीन लागू किए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, आज से चार महीने की समाप्ति के बाद, उक्त ओएम का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले मानदंडों के अनुसार 'क्रीमी लेयर' के बहिष्कार के अधीन होगा और अन्यथा नहीं।

[जोर दिया गया]

65. उपरोक्त निर्णयों के परिदृश्य से पता चलता है कि ओबीसी आरक्षण के लिए पात्रता मानदंड से क्रीमी लेयर को बाहर करने की आवश्यकता ओबीसी के बीच तथ्यात्मक समानता लाने के लिए उत्पन्न हुई थी न कि केवल जाति के आधार पर सतही वर्गीकरण के लिए। ***इंद्रा साहनी (पूर्वोक्त)*** के मामले में निर्णय इस तथ्य

को स्वीकार करता है कि ओबीसी के बीच, एक समृद्ध वर्ग मौजूद है जिसे किसी भी प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। अंतर्निहित विचार वर्ग का उत्थान करना है न कि केवल एक वर्ग के भीतर चयनित व्यक्तियों का।

66. स्वयंसिद्ध रूप से, ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों में आवेदक की आय के आधार पर जारी किया जाता है और एक विशेष वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है। इसलिए, निर्विवाद रूप से, ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र यादृच्छिक समय सीमा के बजाय वित्तीय वर्ष के साथ काफी हद तक सहसंबद्ध है। स्वाभाविक परिणाम के रूप में, ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र मांगने वाले अधिकारी को जारी करने की कट-ऑफ तिथि को किसी विशेष वित्तीय वर्ष के अनुरूप रखना चाहिए। उक्त स्थिति से विचलन न केवल भ्रम और अनिश्चितता पैदा करता है बल्कि कई बार योग्य उम्मीदवारों को आरक्षण के लाभ से वंचित भी करता है। वर्तमान मामले में भी, यह स्वीकार्य स्थिति है कि प्रत्यर्थी किसी विशेष समय सीमा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं था और इस प्रकार, उसने बिना किसी स्पष्ट आधार के अपनी स्वयं की समय सीमा अपना ली।

67. दरअसल, आरक्षण का लाभ उठाने की प्रणाली, जो निस्संदेह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाती है, न केवल आसान और तार्किक होनी चाहिए, बल्कि भारी भी नहीं होनी चाहिए। यदि प्रक्रिया ही बाधा बन जाती है,

तो यह अवसर की समानता सुनिश्चित करने के संवैधानिक लक्ष्य पर आघात के रूप में कार्य करती है। समानता की मूल विशेषता एक स्तरित तरीके से संचालित होती है और समानता की समझ अभी भी विकसित हो रही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव, पर्याप्त और गैर-पर्याप्त समानता आदि की अवधारणाएँ न्यायिक विमर्श में तेजी से जगह पा रही हैं। आरक्षण की अवधारणा असमानता के स्तरों से अलग नहीं है और वास्तव में, समानता की चर्चा के केंद्र में है। लंबे समय तक, इस अवधारणा को अवसर की समानता की अवधारणा के विपरीत समझा जाता रहा। एक समाज के रूप में हमें इस तथ्य को स्वीकार करने में काफी समय लगा कि आरक्षण नीति अपने आप में अवसर की समानता की अवधारणा का आयाम है और इसका विरोधी नहीं है। नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे बार-बार उभरे हैं। हालांकि, ऐसे मुद्दे, वर्तमान की तरह, पर्याप्त समानता हासिल करने के अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हल किये जाने है।

<u>शैक्षणिक मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा</u>

68. इस समय, शैक्षणिक मामलों में न्यायिक समीक्षा के दायरे को ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से पात्रता मानदंड से संबंधित। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों द्वारा यह अच्छी तरह से स्थापित किया गया है कि पात्रता मानदंड तय करना नीतिगत निर्णय है, जो नियोक्ता या अन्य सक्षम प्राधिकारी के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है और न्यायालयों को ऐसी शर्तों

को फिर से लागू करने से बचना चाहिए। ***सचि. (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बनाम अनीता पुरी (डॉ)*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना प्रासंगिक है जिसमें निम्नलिखित निर्णय दिया गया था:-

> *"9. .....*
>
> *यह बात सर्वविदित है कि जब लोक सेवा आयोग जैसे विशेषज्ञ निकाय द्वारा चयन किया जाता है जिसे उस क्षेत्र में तकनीकी अनुभव और उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले विशेषज्ञों द्वारा भी सलाह दी जाती है जिसके लिए चयन किया जाना है तो न्यायालयों को विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई राय में हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम करना चाहिए जब तक कि दुर्भावनापूर्ण आरोप न लगाए जाएं और साबित न हो जाएं। न्यायालयों के लिए यह विवेकपूर्ण और सुरक्षित होगा कि वे ऐसे मामलों पर निर्णय उन विशेषज्ञों पर छोड़ दें जो न्यायालयों की तुलना में उन समस्याओं से अधिक परिचित हैं जिनका वे सामना करते हैं। यदि विशेषज्ञ निकाय सभी प्रासंगिक कारकों पर उचित विचार करने के बाद किसी निर्दिष्ट पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता पर विचार करता है तो न्यायालय को आमतौर पर ऐसे चयन और मूल्यांकन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार, हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत होने की स्थिति में नहीं हैं कि आयोग द्वारा दिए गए अंक मनमाने थे या आयोग द्वारा किया गया चयन किसी भी तरह से दोषपूर्ण था।"*

69. ***राजस्थान राज्य बनाम लता अरुण*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की राय थी कि किसी उचित मामले में न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करके यह जांच कर सकता है कि नीतिगत निर्णय

प्रासंगिक विचारों पर आधारित है या नहीं। उक्त निर्णय के पैराग्राफ सं.10 के अनुसार, यह निम्नानुसार माना गया है कि:-

> *"10. मामले में शामिल बिंदुओं में दोहरी बात हैं: एक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हरता निर्धारित करने से संबंधित है और दूसरा प्रवेश के उद्देश्य से हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा जारी मध्यमा प्रमाणपत्र को +2 या टीडीसी के प्रथम वर्ष के बराबर या उससे अधिक के रूप में मान्यता देने से संबंधित है। ये दोनों बिंदु राज्य सरकार या किसी क़ानून के तहत शक्ति से संपन्न प्राधिकरण द्वारा लिए जाने वाले नीतिगत निर्णय के दायरे में आने वाले मामलों से संबंधित हैं। यह तय करना न्यायालयों का काम नहीं है कि किसी उम्मीदवार के पास मौजूद किसी खास शैक्षणिक योग्यता को मामले में निर्धारित योग्यता के बराबर माना जाना चाहिए या नहीं। **इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे मामले न्यायोचित नहीं हैं। उचित मामले में न्यायालय यह जांच कर सकता है कि मामले से निपटने वाला नीतिगत निर्णय या प्रशासनिक आदेश निष्पक्ष, तर्कसंगत और उचित आधार पर आधारित है या नहीं; क्या निर्णय मामले के प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करके लिया गया है; क्या शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया है; क्या निर्णय भर्ती किए गए उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से है या यह अप्रासंगिक और तर्कहीन विचारों पर आधारित है या किसी व्यक्ति या उम्मीदवारों के समूह को लाभ पहुंचाने के लिए है।"***
>
> *[जोर दिया गया]*

70. ***आनंद यादव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***जहूर अहमद राथर बनाम इम्तियाज अहमद*** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ देते हुए निम्नानुसार माना है:-

> *"35. हम ऐसा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि शिक्षा के मामलों को शिक्षाविदों पर छोड़ दिया जाना चाहिए निस्संदेह ही प्रासंगिक संविधियों और विनियमों द्वारा शासित होने के अधीन। विशेषज्ञों के निर्णय पर विशेषज्ञ निकाय के रूप में बैठना इस न्यायालय का कार्य नहीं है, खासकर जब विशेषज्ञ सभी प्रतिष्ठित लोग हैं जैसा कि निर्धारित नामों से स्पष्ट है। इस पहलू को पहले भी न्यायिक प्रोत्साहन मिला है और ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया कह रहे हैं। हम इस संबंध में जहूर अहमद राथर [जहूर अहमद राथर बनाम इम्तियाज अहमद, (2019) 2 एससीसी 404 : (2019) 1 एससीसी (एलएंडएस) 353] के फैसले का हवाला दे सकते हैं, जिसमें दोहरे पहलुओं पर विचार किया गया: **(क) नियोक्ता को इस बात पर विचार करना है कि क्या योग्यता की कार्यक्षमता और अध्ययन के पाठ्यक्रम की सामग्री उपयुक्त योग्यता के अधिग्रहण की ओर ले जाता है; और (बी) ऐसी मामलों को शिक्षाविदों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।***
>
> *[जोर दिया गया]*

71. ***पंजाब नेशनल बैंक बनाम अनित कुमार*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यद्यपि न्यायालयों द्वारा नियोक्ता को पात्रता निर्धारित करने के लिए अधिक छूट दी गई है लेकिन इस पर मनमाने ढंग से कार्रवाई नहीं की जा सकती। उक्त निर्णय का पैराग्राफ सं. 17.3 इस प्रकार है:-

"17.3. इस प्रकार, जैसा कि इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णयों में कहा है, किसी भी पद के लिए अर्हरता की प्रासंगिकता और उपयुक्तता का निर्धारण व निर्णय करना नियोक्ता का काम है और इस पर विचार करना या इसका आकलन करना न्यायालयों का काम नहीं है। न्यायालयों द्वारा नियोक्ता को किसी भी पद के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए अधिक स्वतंत्रता दी गई है। इसके पीछे एक तर्क है। अर्हर्ताएँ किसी संस्थान या उद्योग या प्रतिष्ठान की आवश्यकता और रुचि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं। न्यायालय अर्हरता के ऐसे निर्धारण की समीचीनता, सलाह या उपयोगिता का आकलन करने के लिए उपयुक्त साधन नहीं हैं। हालांकि, उसी समय में, नियोक्ता पदों के लिए अर्हरता निर्धारित करने में मनमाने ढंग से या काल्पनिक रूप से कार्य नहीं कर सकता है। वर्तमान मामले में, पात्रता मानदंड/शैक्षिक अर्हरता निर्धारित करना कि स्नातक उम्मीदवार पात्र नहीं होगा और उम्मीदवार को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, उचित है और जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह बैंक द्वारा लिया गया एक सचेत निर्णय है जो 2008 से लागू है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता बैंक को प्रत्यर्थी मूल रिट याचिकाकर्ता को चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति देने का निर्देश देकर स्पष्ट रूप से गलती की है हालांकि वह विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड/ शैक्षणिक अर्हरता के अनुसार पात्र नहीं था।

72. इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि शैक्षणिक संस्थानों के मामले में नियोक्ता या सक्षम प्राधिकारी को ऐसी शर्तों की समीचीनता को ध्यान में रखते हुए पात्रता मानदंड निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी जाती है। उक्त दायित्व के पीछे का तर्क अपने आप में धारणा रखता है कि प्राधिकरण मनमाने ढंग से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्य नहीं करेगा। बल्कि यह संस्थानों और उम्मीदवारों के

हितों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में प्रयास करेगा। उपर्युक्त निर्णय पात्रता मानदंड की न्यायसंगतता पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाते हैं और उचित मामलों में, मनमानेपन को दूर करने के लिए इसे न्यायिक जांच के अधीन किया जा सकता है।

73. उपरोक्त संदर्भ में, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि कट-ऑफ तिथि आवेदनों की स्वीकृति की अंतिम तिथि है जबकि इसका स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, तथापि, यह संबंधित संस्थान पर निर्भर है कि वह कोई अंतिम तारीख/समय-सीमा निर्धारित करे, जिसे वह उचित समझे।

74. याचिकाकर्ता के दिनांक 02.10.2022 के ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र को प्रत्यर्थी द्वारा यह तर्क देते हुए खारिज कर दिया गया था कि यह परीक्षा के समय अर्थात 05.11.2023 तक समाप्त हो जाएगा क्योंकि यह पिछले तीन वित्तीय वर्षों की आय पर आधारित है। यह न्यायालय इस प्रस्ताव पर संदेह नहीं करती है, हालांकि, जो बात गलत लगती है वह यह है कि प्रत्यर्थी ने दिनांक 31.03.2023 से पहले जारी किए गए ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्रों को स्वीकार कर लिया है, भले ही वे दिनांक 01.04.2023 को समाप्त हो जाएंगे।

75. इस प्रकार, ऐसा लगता है कि बिना किसी तर्क या वस्तुनिष्ठता के, प्रत्यर्थी ने एक ही वित्तीय वर्ष के भीतर प्रमाण-पत्रों की दो अलग-अलग श्रेणियां बना दी हैं।

पहली श्रेणी में दिनांक 01.04.2022 से 05.11.2022 के बीच जारी किए गए प्रमाण-पत्र शामिल हैं और दूसरी श्रेणी में दिनांक 06.11.2022 से 31.03.2023 के बीच जारी किए गए प्रमाण-पत्र शामिल हैं। फिर प्रत्यर्थी ने दिनांक 06.11.2022 से 31.03.2023 के बीच जारी किए गए सभी प्रमाण-पत्रों को वैध मानने और दिनांक 01.04.2022 से 05.11.2022 के बीच जारी किए गए प्रमाण-पत्रों को अवैध मानने का विकल्प चुना है जबकि दोनों श्रेणियों के प्रमाण-पत्र दिनांक 01.04.2023 को समाप्त हो रहे हैं और समान वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की आय पर आधारित हैं।

76. यह बात समझने योग्य है कि अगर प्रत्यर्थी ने किसी विशेष वित्तीय वर्ष/वित्तीय वर्षों के समूह से संबंधित शर्तों/योग्यताओं के लिए प्रावधान करना चुना होता। हालांकि, प्रत्यर्थी ने बड़ी चतुराई से ओबीसी प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए समय-सीमा प्रदान की है, जिसमें, आवश्यकता को तब वैध माना जाता है जब कोई व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 या वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वैध प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन करता है। लेकिन समान रूप से और एक ही समय में, इन दोनों प्रमाण-पत्रों को अमान्य माना जा सकता है यदि वे प्रत्यर्थी की समय सीमा के भीतर नहीं आते हैं। महत्वपूर्ण रूप से, यह प्रमाण-पत्र के समान कानूनी प्रभाव होने के बावजूद है।

77. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र के लिए प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समय-सीमा, जिसे दिनांक 06.11.2022 से 05.11.2023 के बीच जारी किया जाना आवश्यक है स्पष्ट रूप से मनमाना है, इसमें किसी प्रकार के विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है और सीटों के आरक्षण के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ इसका कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है।

78. यह न्यायालय अब प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णयों पर विचार करेगा।

79. ***अशोक कुमार शर्मा (पूर्वोक्त)*** के मामले में, विशेष रूप से पैराग्राफ सं. 6 पर दृढ़ता से भरोसा किया गया है। इस निर्णय का मुख्य भाग इस प्रकार है:-

> *"6..... जहाँ तक हमारे दिनांक 1-9-1995 के आदेश में उल्लिखित प्रथम मुद्दे का संबंध है, हम यह सम्मानजनक राय रखते हैं कि बहुमत का निर्णय (न्या. डॉ. टीके थॉमन और न्या. वी रामास्वामी, द्वारा दिया गया) कानून में टिकने योग्य नहीं है। प्रस्ताव यह है कि जहां आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि के रूप में विशेष तारीख निर्धारित करने के लिए आवेदन मांगे जाते हैं, उम्मीदवारों की पात्रता का आकलन उस तिथि के संदर्भ में किया जाना चाहिए और केवल वही तिथि अच्छी तरह से स्थापित तिथि है। जो व्यक्ति निर्धारित तिथि के बाद निर्धारित योग्यता प्राप्त करता है, उस पर विचार ही नहीं किया जा सकता। आवेदन आमंत्रित करने के लिए जारी/प्रकाशित कोई विज्ञापन या अधिसूचना जनता के समक्ष प्रतिनिधित्व है और इसे जारी करने वाला प्राधिकारी ऐसे प्रतिनिधित्व से बंधा हुआ है। यह इसके विपरीत कार्य नहीं कर सकता। इस प्रस्ताव के पीछे*

कारण यह है कि यदि यह ज्ञात होता कि निर्धारित तिथि के बाद लेकिन साक्षात्कार की तिथि से पहले योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को साक्षात्कार में बैठने की अनुमति दी जाएगी, तो इसी तरह के अन्य व्यक्ति भी आवेदन कर सकते थे। सिर्फ इसलिए कि कुछ व्यक्तियों ने निर्धारित तिथि तक निर्धारित योग्यता प्राप्त न करने के बावजूद आवेदन किया था, उन्हें वरीयता के आधार पर नहीं माना जा सकता था....."

80. इसी प्रकार, ***रेखा चतुर्वेदी (पूर्वोक्त)*** के पैरा सं.10 को सेवा में लाया जाता है। इसका मुख्य भाग इस प्रकार है:-

"10. *यह तर्क कि उम्मीदवारों की आवश्यक योग्यता की जांच चयन की तारीख के संदर्भ में की जानी चाहिए, न कि आवेदन करने की अंतिम तिथि के संदर्भ में, केवल खारिज कर दिया जाना है। चयन की तारीख हमेशा अनिश्चित होती है। ऐसी तारीख के ज्ञान के अभाव में पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह बताने में असमर्थ होंगे कि वे विचाराधीन पदों के लिए योग्य हैं या नहीं, यदि उन्होंने अभी तक योग्यता प्राप्त नहीं की है। जब तक विज्ञापन में निश्चित तारीख का उल्लेख नहीं किया जाता है जिसके संदर्भ में योग्यता का आकलन किया जाना है, चाहे उक्त तारीख चयन की हो या अन्यथा, उन उम्मीदवारों के लिए भी यह संभव नहीं होगा जिनके पास इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए भी अपेक्षित योग्यता नहीं है। तिथि की अनिश्चितता भी विपरीत परिणाम का कारण बन सकती है, अर्थात, यहां तक कि वे उम्मीदवार जिनके पास वर्तमान में योग्यता नहीं है और भविष्य में उन्हें प्राप्त करने की संभावना है, वे पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिससे आवेदनों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन इससे भी बदतर परिणाम हो सकता है, क्योंकि इससे कदाचार की गुंजाइश बनी रह सकती है। चयन की तिथि इस तरह तय या हेरफेर की जा सकती है कि कुछ आवेदकों को स्वीकार कर लिया जाए और दूसरों को मनमाने ढंग से खारिज कर दिया जाए। इसलिए, आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन*

अधिसूचना में निर्दिष्ट निश्चित तिथि के अभाव में, जिसके संदर्भ में अपेक्षित योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, योग्यताओं की जांच के लिए एकमात्र निश्चित तिथि आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी। इसलिए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि जब वर्तमान मामले में चयन समिति, जैसा कि श्री मनोज स्वरूप द्वारा तर्क दिया गया है, ने आवेदनों को प्राथमिकता देने की अंतिम तिथि के बजाय चयन की तिथी को अपेक्षित योग्यताओं पर विचार किया, तो इसने पेटेंट अवैधता के साथ काम किया और इस आधार पर ही विचाराधीन चयन रद्द किए जाने योग्य हैं। इस संबंध में इस न्यायालय के हाल के दो निर्णयों, ए.पी. लोक सेवा आयोग, हैदराबाद व अन्य बनाम बी.शरत चंद्र व अन्य, (1990) 4 *एसएलआर* 235 *और जिला कलेक्टर व अध्यक्ष, विजयनगरम* (*समाज कल्याण आवासीय विद्यालय सोसाइटी*) *विद्यानगरन व अन्य बनाम एम त्रिपुरा सुंदरी देवी,* (1990) 4 *एसएलआर* 237 *के संदर्भ में भी लिया जा सकता है।*

81. दोनों मामले अर्थात् ***अशोक कुमार शर्मा (पूर्वोक्त)*** और ***रेखा चतुर्वेदी (पूर्वोक्त)*** तकनीकी योग्यता से संबंधित थे। जबकि पहले मामले में, राजस्थान विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर (प्रवक्ता) के रूप में प्रत्यर्थीगण की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उनके पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं थी जो एक अनिवार्य पात्रता मानदंड था। इसी तरह, ***अशोक कुमार शर्मा (पूर्वोक्त)*** जम्मू और कश्मीर राज्य की सेवा में कनिष्ठ इंजीनियर के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति से संबंधित था, जिसके लिए उक्त पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के रूप में बी.ई (सिविल) की आवश्यकता थी।

82. इसलिए, अ***शोक कुमार शर्मा (पूर्वोक्त)*** और ***रेखा चतुर्वेदी (पूर्वोक्त)*** के निर्देश किसी विशेष पद/सीट के लिए तकनीकी/शैक्षणिक आवश्यकताओं पर लागू होते हैं। हालांकि, तकनीकी/शैक्षणिक योग्यता और ओबीसी एनसीएल प्रमाणपत्र की आवश्यकता के बीच एक बुनियादी अंतर है। जैसा कि ***पुष्पा (पूर्वोक्त)*** में देखा गया था, जिसे बाद में ***राम कुमार गिजरोया (एससी)*** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था, ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र केवल उस चीज़ का प्रमाण है जो पहले से मौजूद है। प्रमाण-पत्र प्राप्त करना किसी नई पात्रता/योग्यता का अधिग्रहण नहीं है बल्कि वास्तव में पहले से मौजूद चीज़ों का औपचारिक प्रमाण मात्र है। इसके अलावा, यह ध्यान रखना उचित है कि ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से जुड़ी शर्तें अनिवार्य रूप से मौलिक अधिकार पर योग्यता बनाने का प्रभाव डालती हैं, ऐसा कुछ जो तकनीकी/शैक्षणिक योग्यता के मामले में नहीं होता है। और इसलिए, जांच का स्तर उच्चतर है क्योंकि मौलिक अधिकार संवैधानिक वादा दर्शाता है जिसे सामान्य तरीके से विशेष रूप से प्रशासनिक आवश्यकताओं की आड़ में कम नहीं किया जा सकता है।

83. यह भी उल्लेखनीय है कि ***अशोक कुमार शर्मा (पूर्वोक्त)*** और ***रेखा चतुर्वेदी (पूर्वोक्त)*** के वर्तमान मामले में लागू होने और ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र की आवश्यकता को नियमित योग्यता के समान मानने से संबंधित प्रत्यर्थी की दलील को ***राम कुमार गिजरोया (डीबी)*** मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ ने स्वीकार

कर लिया था। हालाँकि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***राम कुमार गिजरोया (एससी)*** में इस निर्णय और आदेश को उलट दिया। इसके अलावा, ***अनिल कुमार (पूर्वोक्त)*** में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय, विशेष रूप से पैराग्राफ सं.10, नियमित योग्यता के रूप में विचार किए जाने के लिए ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र की आवश्यकता को भी खारिज करता है।

84. ***बेदंगा तालुकदार (पूर्वोक्त)*** पर भरोसा भी उतना ही भ्रामक है। यह मामला पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र जमा न करने से संबंधित था और इस मामले में ओबीसी आरक्षण या सामान्य रूप से आरक्षण की संवैधानिक योजना से संबंधित कोई चर्चा नहीं की गई थी। इसके बाद, ***महेंद्र सिंह (पूर्वोक्त)*** मामले पर प्रत्यर्थी का भरोसा भी अस्थिर है। जैसा कि उक्त मामले के पैराग्राफ सं. 9 से पता चलता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय विज्ञापन में दी गई शर्त के उल्लंघन के प्रभाव से चिंतित था कि आवेदन उस भाषा में होना चाहिए जिस भाषा में उम्मीदवार प्रश्न का उत्तर देना चाहता था। यह कहने की जरूरत नहीं है कि उक्त मामले का वर्तमान मामले के तथ्यों से कोई संबंध नहीं है।

85. इसके अलावा, ***हर्षुल सैनी (पूर्वोक्त)*** के मामले में इस न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से अलग तथ्यात्मक आधार पर आधारित था और इसलिए, प्रत्यर्थी के मामले का बचाव नहीं कर सकता है। उक्त मामले में, तथ्यात्मक पहलु के विपरीत, ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र जमा करने की प्रासंगिक कट-ऑफ तिथि

केवल वित्तीय वर्ष पर आधारित थी। साथ ही, उक्त मामले में काउंसलिंग के दो दौर पहले ही खत्म हो चुके थे और इस प्रकार, स्थिति अपरिवर्तनीय और गैर-प्रबंधनीय थी, जो कि तत्काल मामले में लागू नहीं होता है।

86. इसके अलावा, प्रत्यर्थी के द्वारा बिना किसी आपत्ति या विरोध के प्रश्नगत परीक्षा की पूरी प्रक्रिया में भाग लेने के बाद विवरण पत्रिका की शर्तों को चुनौती देने के अधिकार से छूट के संबंध में उठाए गए तर्क में स्पष्ट रूप से सार और योग्यता का अभाव है। इस मामले में, याचिकाकर्ता अनिवार्य रूप से अलग आरक्षित श्रेणी के निर्माण की मांग करके प्रॉस्पेक्टस की शर्तों को चुनौती नहीं दे रहा है, बल्कि वह अपनी उम्मीदवारी पर निष्पक्ष विचार की मांग कर रहा है। निष्पक्ष व्यवहार या उचित विचार की अपेक्षा मौलिक अधिकार है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से प्रवाहित होती है। यहां तक कि यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता ने प्रॉस्पेक्टस की उक्त शर्तों को स्वीकार कर लिया है, यह उसे उसके मौलिक अधिकार को लागू करने से नहीं रोकेगा क्योंकि मौलिक अधिकारों को टाला नहीं जा सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने ***बशेशर नाथ बनाम सीआईटी*** के मामले में अभिनिर्धारित किया था। इसलिए, याचिकाकर्ता अपनी शिकायत को व्यक्त करने के लिए कानून के दायरे में है और इस स्तर पर छूट और स्वीकृति के सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता नहीं होगी।

87. ***गौरव सिंह (पूर्वोक्त)*** का मामला ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों से संबंधित है, जो इस न्यायालय को प्रासंगिक नहीं लगता है। इसी प्रकार, ***दिव्या (पूर्वोक्त)*** का निर्णय अपने स्वयं के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है, जिसे यह न्यायालय वर्तमान मामले में लागू नहीं पाता है।

88. इसके अलावा, ***साक्षी अर्हा (पूर्वोक्त)*** में किसी भी राय पर भरोसा करना अनुचित होगा क्योंकि विभाजित फैसले के कारण, उक्त मामले में मुद्दों का कोई वास्तविक निर्धारण नहीं हुआ था, और मामले को उचित पीठ के समक्ष रखने के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया था।

89. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के दिनांक 23.11.2023 के ओबीसी एनसीएल प्रमाणपत्र पर प्रत्यर्थी द्वारा विचार किया जाना चाहिए था और प्रॉस्पेक्टस में निहित आवश्यकता, ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र के लिए समय-सीमा दिनांक 06.11.2022 से 05.11.2023 के बीच निर्दिष्ट करना, मनमाना है।

90. इस प्रकार न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया हैः

क. ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र पर प्रत्यर्थी का दिनांक 06.11.2022 से 05.11.2023 के बीच जारी होने का आग्रह मनमाना है और सीटों के

आरक्षण द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ इसका कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है।

ख. ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र की आवश्यकता तकनीकी/शैक्षणिक योग्यता से मौलिक रूप से अलग है। जबकि पिछला केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रमाण है, बाद वाला अर्हरता के अधिग्रहण को संदर्भित करता है।

ग. ***राम कुमार गिजरोया (एससी), राम कुमार गिजरोया (डीबी), मुकेश कुमार यादव (सुप्रा), कर्ण सिंह यादव (पूर्वोक्त) के साथ पठित पुष्प (पूर्वोक्त)*** के संदर्भ में, प्रत्यर्थी द्वारा दी गई कट-ऑफ तिथि के दौरान जारी ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र जमा करने पर जोर देना मनमाना है और इसका आरक्षण के उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। इसके अलावा, उम्मीदवारी को केवल कट-ऑफ तिथि के बाद जारी किए गए ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र को जमा करने के कारण रद्द नहीं किया जा सकता है, बल्कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान किए गए विस्तारित समय के भीतर किया जा सकता है।

घ. ***अनिल कुमार (पूर्वोक्त)*** के अनुसार, कट-ऑफ तिथि की व्याख्या अभ्यर्थी के अनुकूल तरीके से की जानी चाहिए, न कि केवल इसलिए

मौलिक अधिकार को खत्म किया जाना चाहिए क्योंकि ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र कट-ऑफ तिथि के बाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

ङ. तथ्यों के आधार पर, याचिकाकर्ता का दिनांक 23.11.2023 का ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए था और उसे तदनुसार निर्देश दिया जाता है।

91. उपर्युक्त चर्चा, ऊपर दिए गए निष्कर्षों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यदि याचिकाकर्ता जिसके पास अन्यथा अपेक्षित अर्हरता है, से सीट वापस ले ली जाती है तो सीट रिक्त हो जाएगी, यह न्यायालय दिनांक 01.12.2023 के अंतरिम आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को दिए गए प्रवेश की पुष्टि करता है।

92. उपरोक्त शर्तों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 27.11.2023 और 29.11.2023 के सूचना को इसके द्वारा रद्द किया जाता है। लंबित आवेदन के साथ याचिका का निपटान किया जाता है।

(पुरुषेंद्र कुमार कौरव)

न्यायाधीश

फरवरी 02, 2024

पी.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*